अगोपनीय

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/48/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 19.03.2026

अंतिम परिणाम

अधिसूचना

मामला सं. - एडी (ओआई) - 45/2024

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित नायलॉन फिलामेंट यार्न के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यत:, सेंचुरी एंका लिमिटेड, गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड तथा ओरिलॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से नायलॉन फिलामेंट यार्न (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जॉच की शुरूआत

करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन अनुरोध किया।

2. और यत:, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/48/2024-डीजीटीआर दिनांक 26 दिसंबर 2024 एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत की गई, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1 जांच की शुरूआत

क. प्राधिकारी ने धारा 9क के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जॉच की शुरूआत करने से पहले भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने 26 दिसंबर 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी कर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जॉच की शुरूआत की।

ग. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, भारत स्थित दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को जॉच शुरूआत अधिसूचना की प्रति भेजी तथा उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

3.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को आवेदन के अगोपनीय अंश की

एक प्रति उपलब्ध कराई। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी, अनुरोध किए जाने पर, आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध कराई गई।

3.3 उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रतिभागिता

क) भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

ख) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी :

i. बारबारिक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, हांगकांग, चीन जन. गण.
ii. बेस्टोरी केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
iii. भारत ग्रीन-टेक ग्लोबल पीटीई लिमिटेड
iv. भविष्या प्राइवेट लिमिटेड
v. बोस्का एंटरप्राइज लिमिटेड
vi. चांगले हाईसन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
vii. चांगशु पॉलिएस्टर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
viii. चांगझोउ गैदर इम्प एक्सप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
ix. डैनक्स वियतनाम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
x. डाइनेस्टी एशिया इंटरनेशनल लिमिटेड, हांगकांग, चीन जन. गण.
xi. फॉर यू विन इंटरनेशनल लिमिटेड, चीन जन. गण.
xii. फ्रंटियर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
xiii. फुजैन वानहोंग टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
xiv. फुजियान हाईसन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
xv. फुजियान जियाई केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
xvi. फुजियान जिनफेंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
xvii. फुजियान काइबांग पॉलीअमाइड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
xviii. फुजियान शिनसेन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
xix. फुझोउ सिटी तियान फांग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xx. फुझोउ देवेई इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxi. फुझोउ हेंघे न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxii. जनरल टेक्स क्रॉसिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxiii. ग्लोबल बेस्ट इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, हांगकांग, चीन जन. गण.

xxiv. जीटीडब्ल्यू इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxv. गुआंगडोंग शिनहुई मीडिया नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxvi. गुआंगझोउ हाईवाइड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxvii. हाईआन जिनहोंग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxviii. हाईयांग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxix. हांगझोउ डिकाई इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxx. हांगझोउ डिकाई इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxxi. हांगझोउ हेंगनिउ फैंसी यार्न कंपनी, चीन जन. गण.

xxxii. हेलर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स सूज़ोउ, चीन जन. गण.

xxxiii. हाई-टेक टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, वियतनाम और चीन जन. गण.

xxxiv. हांगकांग सीवाईएक्स इंटरनेशनल लिमिटेड, हांगकांग, चीन जन. गण.

xxxv. हुनान नैट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxxvi. इनविस्टा चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी, चीन जन. गण.

xxxvii. जिआंगसू वनटच बिजनेस सर्विस कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxxviii. जिआंगसू टोंगशिन केमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xxxix. जिआंगसू वेनफेंग केमिकल फाइबर ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xl. जिआशिंग स्काईटाइम इम्प एंड एक्सप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xli. जिनजियांग शिंगलिलाई यार्न्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xlii. जुनमा टायर कॉर्ड कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xliii. जुनमा टायर कॉर्ड हांगकांग कंपनी लिमिटेड, हांगकांग, चीन जन. गण.

xliv. कोहयेई ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xlv. लिंक्ड फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xlvi. एम एस बेस्टोरी केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

xlvii. एम एस चांगले हाईसन सिंथेटिक फाइबर, चीन जन. गण.

xlviii. एम एस चांगझोउ दाहुआ इम्प एंड एक्सप जी, चीन जन. गण.

xlix. एम एस फुजियान जिंगफेंग टेक्नोलॉजी कंपनी, चीन जन. गण.

l. मैपट्रास्को

li. मीडिया नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lii. मेहलर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, चीन जन. गण.

liii. मीडा नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

liv. मिंकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lv. नानजिंग फाइनेटेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lvi. नानटोंग बेलियन इम्प एक्सप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lvii. नानटोंग जिनहोंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lviii. नानटोंग पुफेइते फाइबर ट्विस्टिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lix. नानटोंग सुयुआन केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lx. नानटोंग शुआनफेई इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxi. निलिट नायलॉन टेक्नोलॉजीज सूज़ोउ, चीन जन. गण.

lxii. निंगबो हाओयूए टेक्सटाइल टेक कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxiii. निंगबो होशेयर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxiv. निंगबो हुआयी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxv. निंगबो टॉपविन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxvi. नॉनटोंग सुयुआन केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxvii. ओरिएंट इंडस्ट्रीज सूज़ोउ लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxviii. ओरिएंट टेकटेक्स सॉल्यूशंस पीटीई लिमिटेड

lxix. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज सूज़ोउ लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxx. पायनियर इलास्टिक हांगकांग लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxxi. पायनियर इलास्टिक हांगकांग लिमिटेड, हांगकांग, चीन जन. गण.

lxxii. प्रूटेक्स नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxxiii. किन शियांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxxiv. किंगदाओ बांग्यू इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxxv. किंगदाओ टॉपफाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxxvi. किंगदाओ वेरी फाइबर टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxxvii. किंगयुआन वांजियाली हाई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxxviii. रेडिएंट इंटरनेशनल वेंचर्स पीटीई लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxxix. रेडी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxxx. रेव्लॉग इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफजेडई

lxxxi. सेवन स्टार्स इंटरनेशनल, चीन जन. गण.

lxxxii. शानडोंग रिफा टेक्सटाइल मशीनरी, चीन जन. गण.

lxxxiii. शानडोंग शिफेंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxxxiv. शंघाई एवरब्राइट इम्प एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxxxv. शंघाई शिलेजु टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

lxxxvi. शंघाई वीको इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
lxxxvii. शाओशिंग हेंगनिउ टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
lxxxviii. शाओशिंग रेन होम टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
lxxxix. शाओशिंग शिफॉन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
xc. शाओशिंग शिंगजी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
xci. शाओशिंग याओनू टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
xcii. शेरी इंडस्ट्रियल एचके कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
xciii. शिनहान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
xciv. शिशी यिमिंग डाइंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
xcv. शिटेक झांगजियागांग टेक्नोलॉजी, चीन जन. गण.
xcvi. शुआंगयी इंडस्ट्रीज होल्डिंग लिमिटेड, चीन जन. गण.
xcvii. शुआंगयी इंडस्ट्रीज होल्डिंग लिमिटेड, चीन जन. गण.
xcviii. सुप्रीम मटेरियल्स लिमिटेड
xcix. सूज़ोउ डेवलप ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
c. सूज़ोउ हैरी मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
ci. सूज़ोउ आरएचजेड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cii. सूज़ोउ सनीवेयर न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
ciii. तैकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
civ. ताइझोउ तियानफांग पैकेजिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cv. टास कमोडिटीज पीटीई लिमिटेड
cvi. टोना इंटरनेशनल ट्रेडिंग एचके कंपनी लिमिटेड, हांगकांग, चीन जन. गण.
cvii. तोराय इंटरनेशनल सिंगापुर
cviii. यूनाइटेड रॉ मटेरियल पीटीई लिमिटेड
cix. यूनिटेक्स इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cx. वेक्सस्टार टेक्सटाइल शंघाई कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxi. वेनझोउ वॉकर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxii. वूशी लॉन्गशाइन इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxiii. वूशी ताइयू इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxiv. शियामेन आईटीजी ग्रुप कॉर्प लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxv. शिन जी दा पीटीई लिमिटेड
cxvi. शिन जी दा पीटीई लिमिटेड
cxvii. शिनहुई देहुआ नायलॉन चिप्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxviii. यीवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

cxix. यीवू यूजंप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxx. झांगजियागांग फॉरबस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxi. झांगजियागांग हैंगमेई टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxii. झांगजियागांग होलीएन इम्प एंड एक्सप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxiii. झांगजियागांग काइरबेन फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxiv. झांगजियागांग ओबिस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxv. झांगजियागांग वेलहाउ ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxvi. झांगजियागांग शिनयुआंडा टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxvii. झेजियांग फ्री ट्रेड ज़ोन सोलिड कॉमर्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxviii. झेजियांग गुक्सियानदाओ पॉलिएस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
cxxix. झेजियांग इंटरनेशनल ट्रेडिंग सप्लाई चेन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxx. झेजियांग किडा टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxxi. झेजियांग समर प्लस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxxii. झेजियांग शियांगशी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxxiii. झूजी बैती इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxxiv. झूजी यूएकियांग निटिंग मशीनरी, चीन जन. गण.
cxxxv. झूजी युशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxxvi. झूजी झुओताई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
cxxxvii. अपोलो टायर्स होल्डिंग्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड
cxxxviii. अरेवा इंडस्ट्रीज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर
cxxxix. ब्रोटेक्स वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
cxl. चेन यार्न वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
cxli. ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
cxlii. ह्योसंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
cxliii. इंडोटेक्स टेक्सटाइल ट्रेडिंग एल एल सी
cxliv. इटालॉन कंपनी लिमिटेड, वियतनाम

ग. संबद्ध जॉच की शुरूआत होने के प्रत्युत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते हुए प्रत्युत्तर दिया:

i. फुजियान बेटरलाईफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

ii. फुजियान चांगले योंगदा टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
iii. फुजियान हाईसन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
iv. फुजियान काइबांग पॉलीअमाइड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
v. फुजियान लिहेंग पॉलीअमाइड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
vi. फुजियान वानहोंग टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
vii. हांगझोउ डिकाई इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
viii. यीवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
ix. ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
x. ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
xi. प्रूटेक्स नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
xii. शिनहान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, दक्षिण कोरिया

3.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावली भेज कर आवश्यक सूचना मांगी।

i. अग्रवाल फैबटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
ii. एगलोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
iii. एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड
iv. भद्रेश यार्न ट्रेडर्स
v. ब्रदर्स स्ट्रेच यार्न प्राइवेट लिमिटेड
vi. चंदक एक्सपो इंटरनेशनल
vii. चिदंबरम फिशनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
viii. चिदंबरम फिशनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
ix. कोरफ्लो केमी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
x. डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xi. ईगल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड
xii. ईगल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड
xiii. एलीमेंट निट्स
xiv. फिलिंक एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड

xv. गारवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड
xvi. गारवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड
xvii. गिन्ज़ा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xviii. ग्लोफिल फाइबर्स प्लास्टिक्स
xix. हाइड्रागार्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
xx. जय सौभाग्य टेक्सटाइल
xxi. के. के. फिशनेट कंपनी
xxii. के. आर. कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
xxiii. कोब मेडिकल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
xxiv. कोठारी रेयॉन्स प्राइवेट लिमिटेड
xxv. कृष्णा फैशन
xxvi. कुमारन फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
xxvii. कुमारन फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
xxviii. कुसुमगर कॉरपोरेट्स प्राइवेट लिमिटेड
xxix. एम. एस. सिंथेटिक्स
xxx. मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड
xxxi. मेकॉर्ड्स इंडिया लिमिटेड
xxxii. मेहर फिलामेंट्स
xxxiii. मेहर इंटरनेशनल
xxxiv. प्रतिमान टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
xxxv. प्रतिमान टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
xxxvi. प्राइम वीव टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
xxxvii. आर. एस. प्रोसेसर्स
xxxviii. एस. जी. पी. इंडिया
xxxix. साक्षी यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड
xl. साक्षी यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड
xli. संगम इंडिया लिमिटेड
xlii. संगम इंडिया लिमिटेड
xliii. सनरिहा टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड
xliv. सील नेट्स प्राइवेट लिमिटेड
xlv. श्री साई केम
xlvi. स्काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xlvii. एसपीजी इंटरनेशनल

xlviii. एसआरएफ लिमिटेड
xlix. टफरोप्स प्राइवेट लिमिटेड
l. टफरोप्स प्राइवेट लिमिटेड
li. वाल्सन पॉलिएस्टर प्राइवेट लिमिटेड

ख. संबद्ध जांच की जॉच शुरूआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करके उत्तर दिया है:

i. गिन्ज़ा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ii. जिगीषा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
iii. स्काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

3.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

क. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक निर्धारित की गई है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा जांच अवधि शामिल की गई है।

3.6 आगे की प्रक्रिया

क. प्राधिकारी ने आवेदन प्रपत्र तथा आर्थिक हित प्रश्नावली भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित अन्य घरेलू उत्पादकों को आवश्यक जानकारी और वर्तमान जांच में भागीदारी के लिए भेजी थी:

i. पीएनपी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
ii. एगलोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
iii. तोड़ी रेयॉन प्राइवेट लिमिटेड
iv. शिवेन यार्न प्राइवेट लिमिटेड
v. प्रफुल ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
vi. एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड
vii. सरला परफॉर्मेंस
viii. सालासर पॉलीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
ix. जे कोरिन
x. केजरीवाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
xi. जेपी फाइबर्स

xii. वर्दा आत्मनिर्भर
xiii. गार्डन वरेली
xiv. ईगल सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

ख. संबद्ध जांच की जॉच शुरूआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, दिनांक 17 फरवरी 2025 को पीएनपी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड ("पीएनपी") ने अपनी क्षति तथा लागत संबंधी सूचना प्रस्तुत की और संबद्ध जांच में स्वयं को घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने का अनुरोध किया।

ग. प्राधिकारी ने पीएनपी की सूचना को शामिल करने के पश्चात परिचालित क्षति संबंधी सूचना पर टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं।

घ. जॉच शुरूआत अधिसूचना तथा आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति भारत में प्रयोक्ताओं के निम्नलिखित ज्ञात संघों को भेजी गई:

i. एसोचैम
ii. फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स एसोसिएशन
iii. फेडरेशन ऑफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री
iv. सूरत ग्रे कपड़ा उत्पादक संघ

ड. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा भारत में अन्य ज्ञात उत्पादकों को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया:

i. घरेलू उद्योग (पीएनपी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड सहित)
ii. यीवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड
iii. प्रूटेक्स नायलॉन कंपनी लिमिटेड
iv. फुजियान वानहोंग टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड

च. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए। सभी हितबद्ध पक्षकारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 7 मार्च 2025 की अधिसूचना द्वारा पीसीएन पद्धति अधिसूचित की।

छ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल कर दें।

ज. क्षति अवधि तथा जांच अवधि के लिए भी संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदा-वार विवरण उपलब्ध कराने के लिए डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया। आयात की मात्रा की गणना और यथा आवश्यक विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने सौदों की समुचित जांच के उपरांत डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

झ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 24 जुलाई 2025 तथा 2 दिसंबर 2025 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने मौखिक अनुरोधों के लिखित अनुरोध तथा तत्पश्चात प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।

ञ. संबद्ध जांच में उत्पादक, निर्यातक, प्रयोक्ता, आयातक तथा प्रयोक्ता एसोसिएशनों सहित निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों की ओर से अनुरोध प्रस्तुत किए गए:

i. घरेलू उद्योग (पीएनपी सहित)
ii. यीवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड
iii. प्रूटेक्स नायलॉन कंपनी लिमिटेड
iv. फुजियान वानहोंग टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
v. हांगझोउ डिकाई इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कंपनी लिमिटेड
vi. फुजियान चांगले योंगदा टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
vii. फुजियान बेटरलाइफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
viii. ह्योसंग डोंग नाइ नायलॉन कंपनी लिमिटेड
ix. ह्योसंग डोंग नाइ कंपनी लिमिटेड
x. जिगीषा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
xi. निटर्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया
xii. पांडेसरा वीवर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
xiii. गिन्ज़ा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xiv. स्काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ट. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमों के परिशिष्ट III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबंधित वस्तुओं के उत्पादन की इष्टतम लागत और निर्माण एवं विक्रय लागत के आधार पर गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) की गणना की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि डंपिंग मार्जिन से कम एंटी-डंपिंग शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं।

ठ. संबंधित मंत्रालय को ईमेल भेजकर एंटी-डंपिंग शुल्क जांच के लिए दायर आवेदन के बारे में सूचित किया गया और इस मामले में उनकी राय मांगी गई। हालांकि, संबंधित मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

ड. वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत पाए गए, उन पर इस प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया है।

ढ. प्राधिकरण ने 04.02.2026 को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें देने हेतु विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण सभी संबंधित पक्षों को वितरित किया। प्राधिकरण ने इन अंतिम निष्कर्षों में संबंधित पक्षों द्वारा प्रकटीकरण के बाद प्राप्त सभी प्रासंगिक टिप्पणियों की जांच की है। संक्षिप्तता के लिए, ऐसी किसी भी प्रस्तुति को, जो पिछली प्रस्तुति की मात्र प्रतिलिपि थी और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, दोहराया नहीं गया है।

ण. जांच के दौरान, प्राधिकरण ने इस अंतिम निष्कर्ष का आधार बनने वाली संबंधित पक्षों द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता के बारे में यथासंभव संतुष्टि प्राप्त की और घरेलू उद्योग तथा संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और दस्तावेजों को प्रासंगिक, व्यावहारिक और आवश्यक समझे जाने तक सत्यापित किया।

त. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ आवश्यक हो, वहाँ गोपनीयता दावों को स्वीकार किया है तथा ऐसी जानकारी को गोपनीय मानते हुए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहाँ संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

थ. जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने से इनकार किया या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है, या जॉच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/अवलोकन रिकार्ड किए हैं।

द. जांच पूर्ण करने तथा अंतिम जॉच परिणाम अधिसूचित करने के लिए तीन माह की समयावधि के विस्तार का अनुरोध किया गया। केंद्र सरकार ने संबद्ध जांच को पूर्ण करने तथा अंतिम जॉच परिणाम अधिसूचित करने के लिए समयावधि में 25 मार्च 2026 तक अर्थात तीन माह के विस्तार की अनुमति प्रदान की।

ध. इस अधिसूचना में '***' चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

न. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.82 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं –

क. उच्च डेनियर (एचडी) उच्च दृढ़ता (एचटी) एनएफवाई तथा निम्न डेनियर (एलडी) उच्च दृढ़ता (एचटी) एनएफवाई का उपयोग फिशनेट अनुप्रयोगों में किया जाता है और पूर्ववर्ती जांचों की भांति इन्हें बाहर रखा जाना चाहिए। उत्पाद के तीन प्रमुख उत्पादक क्षमता कम होने के कारण फिशनेट क्षेत्र की मांग को पूरा नहीं करते हैं। सेंचुरी फिशनेट की मांग का 10% से भी कम आपूर्ति करती है।

ख. सेंचुरी को छोड़कर आवेदक और समर्थक केवल टेक्सटाइल ग्रेड एनएफवाई का उत्पादन करते हैं, एचडी एचटी एनएफवाई का नहीं। एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड ने एचडी एचटी एनएफवाई का उत्पादन प्रारंभ किया है, परंतु वह गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है।

ग. भारतीय उद्योग में एचडी एचटी एनएफवाई (840 डेनियर और उससे अधिक) की मांग में हिस्सेदारी केवल 15% है। एलडी एचटी एनएफवाई (210 डेनियर; 420 डेनियर और 630 डेनियर तक) की हिस्सेदारी 75% है।

घ. 210 डेनियर और उससे अधिक का एचटी एनएफवाई आवेदकों और समर्थकों द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है।

ड़. चूंकि मोनोफिलामेंट यार्न्स को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है, अतः मोनोफिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए इनपुट में प्रयुक्त मदर यार्न को भी बाहर रखा जाना चाहिए।

च. मदर यार्न को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि केवल सेंचुरी एंका प्राइवेट लिमिटेड ही घरेलू स्तर पर मदर यार्न का उत्पादन कर रही है, जिसकी क्षमता कुल घरेलू क्षमता का मात्र 15% है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के संभावित अधिरोपण तथा पाटनरोधी जांच के कारण विचाराधीन उत्पाद के आयात में गिरावट देखी गई है। आपूर्ति प्रतिबंधों के कारण मदर यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई है तथा बाजार आयात पर निर्भर है।

छ. डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा उन्नत स्प्लिट वार्पिंग मशीनों को अपनाए जाने के कारण मदर यार्न की मांग और कीमतों में वृद्धि हुई है। इससे मदर यार्न की मांग में और वृद्धि होगी।

ज. चूंकि घरेलू उद्योग 70/68 एफडी एफडीवाई तथा 70/48 एफडी एफडीवाई का उत्पादन नहीं करता है, अतः इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

झ. निम्नलिखित विनिर्देशनों वाले यार्न को जाँच से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया यार्न निम्नस्तरीय गुणवत्ता का अथवा असमान लंबाई और वजन का है, जबकि आयातित यार्न समान लंबाई का होता है –

i. 20 डेनियर /16 से 34 फिलामेंट्स सेमी डल और फुल डल एफडीवाई
ii. 30 डेनियर /24 से 48 फिलामेंट्स सेमी डल, फुल डल और ब्राइट एफडीवाई
iii. 40 डेनियर /12 फिलामेंट्स सेमी डल एफडीवाई
iv. 40 डेनियर /12 फिलामेंट्स फुल डल एफडीवाई
v. 40 डेनियर /12 फिलामेंट्स ब्राइट एफडीवाई
vi. 40 डेनियर /34 फिलामेंट्स सेमी डल एफडीवाई

vii. 40 डेनियर /34 फिलामेंट्स फुल डल एफडीवाई
viii. 111 डेनियर /24 फिलामेंट्स सेमी डल डीटीवाई
ix. 170 डेनियर पुनर्नवीनीकृत नायलॉन यार्न
x. 280 डेनियर पुनर्नवीनीकृत नायलॉन यार्न
xi. 170 डेनियर मल्टीफिलामेंट यार्न
xii. 280 डेनियर मल्टीफिलामेंट यार्न
xiii. 200 डेनियर /10 फिलामेंट्स सेमी डल मदर यार्न
xiv. 200 डेनियर /10 फिलामेंट्स ब्राइट मदर यार्न
xv. 240 डेनियर /12 फिलामेंट्स ब्राइट मदर यार्न
xvi. 240 डेनियर /12 फिलामेंट्स सेमी डल मदर यार्न
xvii. 250 डेनियर /10 फिलामेंट्स राउंड ब्राइट मदर यार्न
xviii. 250 डेनियर /10 फिलामेंट्स ब्राइट मदर यार्न
xix. 300 डेनियर /10 फिलामेंट्स सेमी डल मदर यार्न
xx. 300 डेनियर /10 फिलामेंट्स ब्राइट मदर यार्न
xxi. 300 डेनियर /10 फिलामेंट्स राउंड ब्राइट मदर यार्न

ञ. घरेलू उद्योग "यार्न डाइंग गारंटी" प्रदान नहीं करते हैं, जबकि आयातित यार्न के साथ यह नियमित रूप से प्रदान की जाती है। चीन के उत्पादकों ने प्रयुक्त और दोषपूर्ण वस्तुओं को चीन में वापस स्वीकार किया तथा धनराशि वापस की है।

ट. नायलॉन-स्पैन्डेक्स कवरड यार्न को जांच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसकी तकनीकी विशेषताएँ भिन्न हैं, निर्माण प्रक्रिया अलग है तथा अंतिम उपयोग विशिष्ट है।

ठ. विचाराधीन उत्पाद के प्राइम ग्रेड और ऑफ-ग्रेड को पृथक पीसीएन के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि गुणवत्ता, कीमत, उपयोग, भौतिक विशेषताओं, स्वरूप और प्रमाणन मानकों के संदर्भ में इनमें वास्तविक अंतर है। प्राइम ग्रेड के कठोर गुणवत्ता मानक होते हैं तथा ये उच्च-सटीकता अनुप्रयोगों में उपयोग होते हैं, जबकि ऑफ-ग्रेड उच्च-सटीकता अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है; दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। ये ग्रेड एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते। प्राइम-ग्रेड के क्रेता बी2सी उत्पादों के विनिर्माता हैं, जबकि ऑफ-ग्रेड के क्रेता बी2बी उत्पाद बनाने वाले विनिर्माता हैं।

ड. मदर यार्न तथा फुली ड्रॉन यार्न को एक ही पीसीएन श्रेणी में समेकित नहीं किया जाना चाहिए। इनके उत्पादन के लिए प्रयुक्त मशीनरी, लागत, अनुप्रयोग और अंतिम उपयोग में भिन्नताएँ हैं।

ढ. पूर्ववर्ती जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति को संबद्ध जांच में भी अधिसूचित किया जाना चाहिए।

ण. औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयुक्त उत्पादों तथा वस्त्र उपयोग के लिए प्रयुक्त उत्पादों के लिए पृथक पीसीएन अपनाए जाने चाहिए।

त. ग्रेड प्रकारों में अंतर के आधार पर भी पृथक पीसीएन बनाए जाने चाहिए, अर्थात उच्च ग्रेड (एए); मध्यम ग्रेड (ए0); निम्न ग्रेड (ए1)।

ग.2. घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

क. 840 डेनियर तथा उससे अधिक के उच्च दृढ़ता (एचटी) यार्न को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा सकता है क्योंकि इसका मुख्यतः उपयोग टायर कॉर्ड फैब्रिक में किया जाता है।

ख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, मदर यार्न एक मल्टी-फिलामेंट यार्न है तथा मोनो-फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए एक मध्यवर्ती उत्पाद है। इसका उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की गई है। अतः इसे बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में भी विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में मदर यार्न को बाहर नहीं रखा था।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नस्तरीय गुणवत्ता का उत्पादन किए जाने के आधार पर कतिपय फिलामेंट्स और डेनियर को बाहर रखने के दावे अप्रमाणित हैं।

घ. डेनियर और फिलामेंट में मामूली परिवर्तन से उत्पाद की विशेषताओं, अनुप्रयोगों या कीमतों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है। घरेलू उत्पादकों द्वारा स्थापित मशीनरी विभिन्न डेनियर और फिलामेंट्स के उत्पादन के लिए उपयोग की जा सकती है। फिलामेंट्स में परिवर्तन के लिए केवल स्पिनरेट में बदलाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, डेनियर में परिवर्तन

पिघले हुए पदार्थ के प्रवाह की गति में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। यार्न की चमक – अर्थात सेमी डल, फुल डल या ब्राइट – प्रयुक्त चिप्स पर निर्भर करती है। अतः डेनियर और फिलामेंट के विशेष संयोजन और संयोग के लिए अपवर्जन के अनुरोध अनुचित हैं।

ङ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने 70/48 एफडी एफडीवाई का उत्पादन और बाजार में बिक्री की है। 70डी/68एफ एफडी एफडीवाई के आयात संबद्ध देशों से मात्रा में नगण्य हैं। घरेलू उद्योग ने 70डी/48एफ एफडी एफडीवाई तथा 70डी/72एफ एफडी एफडीवाई का भी उत्पादन और आपूर्ति की है, जो तुलनीय उत्पाद हैं।

च. यदि डेनियर और फिलामेंट के विशेष संयोजन वाले यार्न को बाहर रखा जाता है, तो समान डेनियर और फिलामेंट के आयातक बाहर रखे गए उत्पाद का आयात कर सकते हैं और किसी भी पाटनरोधी शुल्क को अप्रभावी बना सकते हैं।

छ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, निम्न घनत्व या उच्च घनत्व एचटी यार्न को बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने उनका उत्पादन और आपूर्ति की है। प्रयोक्ता संघ ने स्वयं कहा है कि घरेलू उद्योग ने उक्त उत्पादों की बाजार में आपूर्ति की है।

ज. घरेलू उद्योग समान लंबाई का यार्न आपूर्ति करते हैं, जैसा कि उन दस्तावेजों से प्रमाणित है जिनमें प्रत्येक बॉबिन का वजन स्थिर दर्शाया गया है।

झ. चूंकि मदर यार्न को मोनो-फिलामेंट यार्न में विभाजित किया जाता है, अतः प्रति फिलामेंट डेनियर की समानता संगत है। घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार में, उन कतिपय पक्षकारों को भी जिन्होंने अपवर्जन का अनुरोध किया है, समान प्रति फिलामेंट डेनियर वाली समान वस्तु उत्पादित और आपूर्ति की है।

ञ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग द्वारा डाइंग गारंटी प्रदान की गई है तथा जिन ग्राहकों ने चिंताएँ व्यक्त कीं, उन्हें क्रेडिट नोट जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए 81% संबद्ध वस्तु एए ग्रेड के हैं, जबकि संबद्ध आयातों में केवल 45% एए ग्रेड के हैं।

ट. यह अनुरोध कि घरेलू उद्योग ने असमान लंबाई वाले निम्नस्तरीय उत्पाद की आपूर्ति की है, असंगत है, क्योंकि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा उच्च रहा है। इसके विपरीत, निर्यातकों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने भारत को ऑफ-ग्रेड उत्पाद निर्यात किए हैं।

ठ. यह दावा कि घरेलू उद्योग पुरानी मशीनरी का उपयोग करते हैं जिससे निम्नस्तरीय उत्पाद का उत्पादन होता है, निराधार है। घरेलू उद्योग ने अत्याधुनिक मशीनरी स्थापित की है जो विदेशी उत्पादकों द्वारा स्थापित मशीनरी के समान है, जो टीएमटी जापान तथा बार्माग जर्मनी से प्राप्त की गई है।

ड. भारतीय उद्योग वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं, जिसका प्रमाण घरेलू उद्योग के बढ़ते निर्यात निष्पादन से मिलता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों ने बीआईएस लाइसेंस प्राप्त किए हैं, जो घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं।

ढ़. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, मांग-आपूर्ति अंतर किसी उत्पाद प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का औचित्य नहीं है। किसी भी स्थिति में, भारत में मदर यार्न के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है।

ण. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, पाटनरोधी शुल्क को लागू करना कन्वर्टर्स को संकट में नहीं डालेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के समकक्ष लाएगा क्योंकि पाटनरोधी शुल्क सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के अंतर की सीमा तक लगाया जाता है।

त. घरेलू उद्योग ने नायलॉन कवर्ड स्पैन्डेक्स यार्न का उत्पादन और आपूर्ति की है। विचाराधीन उत्पाद का दायरा पूर्णतः समरूप होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि यूरोपीय समुदाय - नॉर्वे से आयातित फार्म्ड सैल्मन पर पाटनरोधी उपाय [डब्ल्यूटी/डीएस337/आर], यूरोपीय समुदाय - चीन से आयातित कतिपय लौह या इस्पात फास्टनर्स पर अंतिम पाटनरोधी उपाय [डब्ल्यूटी/डीएस397/आर] तथा हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2016 (334) ई.एल.टी. 339 (ट्राइ.-दिल्ली)] के निर्णय में स्पष्ट है।

थ. एफडीवाई और मदर यार्न की उत्पादन लागत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। पृथक पीसीएन का अनुरोध आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा किया गया है, न कि विदेशी उत्पादकों द्वारा, अतः इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

द. प्राइम ग्रेड और ऑफ-ग्रेड उत्पादों के लिए पृथक पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुणवत्ता के आधार पर उत्पादन लागत में परिवर्तन नहीं होता। दोनों ग्रेड समान कच्चे माल का उपयोग करते हैं तथा समान उत्पादन प्रक्रिया और परिवर्तन लागत से गुजरते हैं।

ध. अनुप्रयोग के आधार पर पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुप्रयोग से उत्पादन लागत प्रभावित नहीं होती।

न. विशिष्ट उत्पादों के लिए पृथक पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा चुका है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जॉच

6. वर्तमान जांच की शुरूआत के समय, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर निम्नानुसार विचार किया था –

"विचाराधीन उत्पाद 'सिंथेटिक फिलामेंट यार्न' है जो नायलॉन से निर्मित है, जिसे पॉलीएमाइड यार्न या नायलॉन फिलामेंट यार्न भी कहा जाता है। नायलॉन फिलामेंट यार्न एक सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है जो जैविक मोनोमर्स के पॉलिमरीकरण द्वारा उत्पादित किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद मल्टी-फिलामेंट यार्न है। इसमें मदर यार्न, फुली ड्रॉन यार्न, पार्शियली ओरिएंटेड यार्न, ड्रॉ टेक्सचर्ड यार्न या क्रिम्प यार्न, एयर टेक्सचर्ड यार्न, एयर कवरड यार्न, हाई ओरिएंटेड यार्न तथा हाई टेनासिटी यार्न शामिल हैं। नायलॉन या पॉलीएमाइड से रहित सभी मानव-निर्मित फिलामेंट यार्न विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। निम्नलिखित को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है –

क. मोनो फिलामेंट यार्न
ख. बल्क कंटीन्युअस फाइबर
ग. नायलॉन 66 यार्न
घ. हॉट मेल्ट यार्न
ड़. लो मेल्ट यार्न

*च.	बॉन्डेड यार्न*

*छ.	कंडक्टिव यार्न*

*ज.	एंटी-स्टेटिक यार्न*

*झ.	नोमेक्स तथा एरामिड्स यार्न*

विचाराधीन उत्पाद में नायलॉन या पॉलीएमाइड के सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न शामिल हैं, जैसे फ्लैट यार्न – ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड, फुली ड्रॉन यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रॉन यार्न (एसडीवाई), फुली ओरिएंटेड यार्न (एफओवाई), हाई ओरिएंटेड यार्न (एचओवाई), पार्शियली ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई), टेक्सचर्ड यार्न – ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड, तथा डाइड यार्न, सिंगल, डबल, मल्टीपल, फोल्डेड या केबल्ड, तथा हाई टेनासिटी नायलॉन यार्न, जो सीमा शुल्क शीर्षक 5402 के अंतर्गत अध्याय 54 में वर्गीकृत है। उत्पाद में नायलॉन (या फिलामेंट यार्न या पॉलीएमाइड यार्न) के सभी प्रकार शामिल हैं, जैसे फ्लैट/टेक्सचर्ड/ ट्विस्टेड/अनट्विस्टेड, ब्राइट/सेमी डल/फुल डल प्रकार, ग्रे/रंगीन/डाइड प्रकार, सिंगल/डबल/मल्टीपल/फोल्डेड/केबल्ड प्रकार, चाहे साइज्ड हों या नहीं।"

7. हितबद्ध पक्षकारों ने इस आधार को बताकर मदर यार्न को बाहर रखने का अनुरोध किया है कि इसका उपयोग मोनो-फिलामेंट यार्न के निर्माण में किया जाता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मदर यार्न एक मल्टी-फिलामेंट यार्न है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल है। उत्पाद का अंतिम उपयोग, अर्थात मोनो-फिलामेंट यार्न में रूपांतरण, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन का आधार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि जांच अवधि के दौरान उसने घरेलू बाजार में मदर यार्न का उत्पादन और बिक्री की है। अतः घरेलू उद्योग ने भारत में आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु की आपूर्ति की है।

8. कतिपय डेनियर और फिलामेंट वाले मदर यार्न के अपवर्जन के संबंध में, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा जोर दिया गया है, चूंकि मदर यार्न को मोनो-फिलामेंट यार्न में विभाजित किया जाता है, अतः मदर यार्न के प्रकारों में कोई अंतर नहीं है, बशर्ते प्रति फिलामेंट डेनियर समान हो। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने 300/10 और 250/10 मदर यार्न, जिनका प्रति फिलामेंट डेनियर क्रमशः 30 और 25 है, के अपवर्जन का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने 300/10 और 300/12 मदर यार्न की आपूर्ति का साक्ष्य अनुरोध किया है, जिनका प्रति फिलामेंट डेनियर क्रमशः 30 और 25 है। अतः घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में समान वस्तु की आपूर्ति की है। उपर्युक्त के आलोक में,

प्राधिकारी 300/10 और 250/10 मदर यार्न को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने के अनुरोध में कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

9. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने 840 डेनियर और उससे अधिक वाले उच्च डेनियर उच्च दृढ़ता यार्न को इस आधार पर बाहर रखने का अनुरोध किया है कि उनका मुख्य उपयोग टायर कॉर्ड फैब्रिक्स में होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भी स्पष्ट किया है कि 840 डेनियर और उससे अधिक वाले उच्च दृढ़ता यार्न का मुख्य उपयोग टायर कॉर्ड फैब्रिक्स में होता है तथा उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। अतः 840 डेनियर और उससे अधिक वाले उच्च दृढ़ता यार्न को जांच के दायरे से बाहर रखा जाता है।

10. उच्च डेनियर उच्च दृढ़ता और निम्न डेनियर उच्च दृढ़ता यार्न के अपवर्जन के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में ऐसे उत्पाद की बिक्री का साक्ष्य अनुरोध किया है। आगे यह भी नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता संघ ने स्वयं अनुरोध किया है कि भारतीय उद्योग ऐसे उत्पाद की 75% मांग की पूर्ति करते हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह अल्प-प्रयुक्त क्षमता के साथ कार्य कर रहा है तथा आदेश प्राप्त होने की स्थिति में अधिक मात्रा में आपूर्ति कर सकता है। चूंकि घरेलू उद्योग ने भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु की आपूर्ति की है, अतः प्राधिकारी उक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की आवश्यकता नहीं पाते हैं।

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने डेनियर और फिलामेंट की संख्या सहित विनिर्देशों के आधार पर विभिन्न उत्पाद ग्रेड के अपवर्जन का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि डेनियर और फिलामेंट में मामूली परिवर्तन से ऐसा भिन्न उत्पाद उत्पन्न होता है जिसकी विशेषताएँ और उपयोग अलग हों। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसने आयातित डेनियर और फिलामेंट के समान वस्तु की आपूर्ति की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि फिलामेंट की संख्या प्रयुक्त स्पिनरेट पर निर्भर करती है तथा पिघले पदार्थ के प्रवाह की गति में परिवर्तन से संबद्ध वस्तु के डेनियर में परिवर्तन होता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में आयातित उत्पाद के समान डेनियर और फिलामेंट वाले समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री का साक्ष्य अनुरोध किया है। अतः घरेलू उद्योग ने आयातित उत्पाद के निकट तुलनीय विशेषताओं वाले उत्पाद का निर्माण किया है। उपर्युक्त के आलोक में, विशिष्ट डेनियर और फिलामेंट के आधार पर अपवर्जन उपयुक्त नहीं होगा।

12. 70 डेनियर/68 फिलामेंट्स फुल डल एफडीवाई और 70 डेनियर/48 फिलामेंट्स फुल डल एफडीवाई को इस आधार पर बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में कि उनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 70 डेनियर/48 फिलामेंट्स फुल डल एफडीवाई के उत्पादन और बिक्री का साक्ष्य अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने 70 डेनियर/72 फिलामेंट्स एफडी एफडीवाई का भी बिक्री की है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 70 डेनियर/72 फिलामेंट्स एफडी एफडीवाई भौतिक और तकनीकी विशेषताओं तथा अनुप्रयोग की दृष्टि से तुलनीय उत्पाद है।

13. कतिपय डेनियर और फिलामेंट वाले यार्न के अपवर्जन के अनुरोध के संबंध में, इस आधार पर कि घरेलू उद्योग ने निम्नस्तरीय गुणवत्ता तथा असमान लंबाई और वजन वाला यार्न आपूर्ति किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नस्तरीय उत्पाद की आपूर्ति के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने असमान लंबाई के आरोप का खंडन करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। यह भी नोट किया जाता है कि विदेशी उत्पादकों ने निम्नस्तरीय गुणवत्ता वाले यार्न की आपूर्ति स्वीकार की है। विदेशी उत्पादकों ने इसी कारण ग्रेड या गुणवत्ता को पीसीएन के एक मानदंड के रूप में विचार करने का अनुरोध भी किया था। किसी भी स्थिति में, संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता में अंतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद प्रकार को बाहर रखने का आधार नहीं हो सकता।

14. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त मशीनरी पुरानी है और इससे निम्नस्तरीय उत्पाद का निर्माण होता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार घरेलू उद्योग अपने संयंत्रों में नवीनतम मशीनरी का उपयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों के पास बीआईएस लाइसेंस हैं तथा वे भारत में गुणवत्ता मानकों के अनुरूप संबद्ध वस्तु का निर्माण करते हैं।

15. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया कि घरेलू उद्योग डाइंग गारंटी प्रदान नहीं करता, जबकि विदेशी उत्पादक रियायतों के रूप में यह प्रदान करते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि ग्राहकों द्वारा पहचानी गई डाइंग समस्याओं की स्थिति में वह क्रेडिट नोट जारी करते हैं।

16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नायलॉन-स्पैन्डेक्स कवर्ड यार्न को इस आधार पर बाहर रखने का अनुरोध किया है कि उक्त उत्पाद की विशेषताएँ, निर्माण प्रक्रिया और

अंतिम उपयोग अन्य ग्रेड से भिन्न हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की विभिन्न श्रेणियाँ/प्रकार विभिन्न अंतिम प्रयोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिप्रेत हैं। यह स्थापित सिद्धांत है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आने के लिए उत्पाद प्रकारों का परस्पर पूर्णतः समान होना आवश्यक नहीं है। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में नायलॉन-स्पैन्डेक्स कवरड यार्न के उत्पादन और आपूर्ति का साक्ष्य अनुरोध किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, केवल अन्य उत्पाद प्रकारों से भिन्नता के आधार पर अपवर्जन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं है।

17. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित दायरे के निष्कर्ष को प्रस्तावित करते हैं –

"विचाराधीन उत्पाद 'सिंथेटिक फिलामेंट यार्न' है जो नायलॉन से निर्मित है, जिसे पॉलीएमाइड यार्न या नायलॉन फिलामेंट यार्न भी कहा जाता है। नायलॉन फिलामेंट यार्न जैविक मोनोमर्स के पॉलिमरीकरण द्वारा उत्पादित सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है। विचाराधीन उत्पाद मल्टी-फिलामेंट यार्न है। इसमें मदर यार्न, फुली ड्रॉन यार्न, पार्शियली ओरिएंटेड यार्न, ड्रॉ टेक्सचर्ड यार्न या क्रिम्प यार्न, एयर टेक्सचर्ड यार्न, एयर कवरड यार्न, हाई ओरिएंटेड यार्न तथा हाई टेनासिटी यार्न शामिल हैं। नायलॉन या पॉलीएमाइड से रहित सभी मानव-निर्मित फिलामेंट यार्न विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। निम्नलिखित को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है –

क. मोनो फिलामेंट यार्न
ख. बल्क कंटीन्युअस फाइबर
ग. नायलॉन 66 यार्न
घ. हॉट मेल्ट यार्न
ङ. लो मेल्ट यार्न
च. बॉन्डेड यार्न
छ. कंडक्टिव यार्न
ज. एंटी-स्टेटिक यार्न
झ. नोमेक्स तथा एरामिड्स यार्न
ञ. 840 डेनियर और उससे अधिक वाले हाई टेनासिटी यार्न।

विचाराधीन उत्पाद में नायलॉन या पॉलीएमाइड के सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न शामिल हैं, जैसे फ्लैट यार्न – ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड, फुली ड्रॉन यार्न

(एफडीवाई), स्पिन ड्रॉन यार्न (एसडीवाई), फुली ओरिएंटेड यार्न (एफओवाई), हाई ओरिएंटेड यार्न (एचओवाई), पार्शियली ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई), टेक्सचर्ड यार्न – ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड, तथा डाइड यार्न, सिंगल, डबल, मल्टीपल, फोल्डेड या केबल्ड, तथा हाई टेनासिटी नायलॉन यार्न, जो सीमा शुल्क शीर्षक 5402 के अंतर्गत अध्याय 54 में वर्गीकृत है। उत्पाद में नायलॉन (या फिलामेंट यार्न या पॉलीएमाइड यार्न) के सभी प्रकार शामिल हैं, जैसे फ्लैट/टेक्सचर्ड/ट्विस्टेड/अनट्विस्टेड, ब्राइट/सेमी डल/फुल डल प्रकार, ग्रे/रंगीन/डाइड प्रकार, सिंगल/डबल/मल्टीपल/फोल्डेड/केबल्ड प्रकार, चाहे साइज्ड हों या नहीं।"

18. प्राधिकारी ने दिनांक 26 दिसंबर 2024 की जॉच शुरूआत अधिसूचना द्वारा पीसीएन पद्धति पर भी टिप्पणियाँ आमंत्रित की थीं। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध प्रस्तुत किए, जिन पर विचार किया गया तथा दिनांक 7 मार्च 2025 की अधिसूचना द्वारा प्राधिकारी द्वारा पीसीएन अधिसूचित किया गया था।

19. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि विशिष्ट उत्पादों को पीसीएन का एक मानदंड माना जाए। तथापि, विशिष्ट यार्न को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा चुका है, अतः इस संबंध में पृथक पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं है।

20. औद्योगिक अनुप्रयोगों और वस्त्र अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त उत्पादों के लिए पृथक पीसीएन के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है कि विभिन्न लागत और कीमत वाले उत्पाद ग्रेड इन अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि उत्पाद की लागत और कीमत अनुप्रयोग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, अतः वर्तमान जांच में अनुप्रयोग को पीसीएन का उपयुक्त मानदंड नहीं माना गया है।

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि लाइन डेंसिटी डेविएशन रेट, लाइन डेंसिटी वेरिएशन को-एफिशिएंसी, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, डाइंग यूनिफॉर्मिटी स्तर और स्ट्रिप ड्राइंग की असमान दर जैसे तकनीकी मानकों को ध्यान में रखते हुए पृथक पीसीएन बनाया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त तकनीकी मानकों के आधार पर उत्पाद की लागत और कीमत में महत्वपूर्ण अंतर होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। लागत अंतर दर्शाने वाली जानकारी के अभाव में इस संबंध में पृथक पीसीएन नहीं बनाए गए हैं।

22. मदर यार्न और फुली ड्रॉन यार्न के लिए पृथक पीसीएन के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी उत्पादों की लागत और कीमत में काफी अधिक अंतर होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पर्याप्त जानकारी के अभाव में प्राधिकारी ने इसे पीसीएन मानदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

23. प्राइम ग्रेड और ऑफ-ग्रेड यार्न के लिए पृथक पीसीएन के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता को पीसीएन बनाने का आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि उत्पाद की लागत गुणवत्ता के आधार पर परिवर्तित नहीं होती। इस संबंध में दावों के बावजूद, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि प्राइम और ऑफ-ग्रेड की उत्पादन लागत भिन्न है। ऑफ-ग्रेड, प्राइम ग्रेड के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही उत्पन्न होता है। कच्ची सामग्री, उपयोगिताएँ तथा अन्य व्यय समान रहते हैं। अतः उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर पृथक पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं है।

24. तदनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी यार्न के प्रकार, डेनियर, फिलामेंट, चमक और रंग को पीसीएन मानदंड के रूप में विचार करने का प्रस्ताव करते हैं, जो निम्नानुसार है।

क्रसं.	**मानदंड**	**उत्पाद प्रकार**	**कोड**
1	यॉर्न	पार्शियली ओरिएंटेड यार्न / हाई ओरिएंटेड यार्न	पीओवाई
		फ्लैट यार्न / फुल्ली ड्रॉन यार्न/ स्पिन ड्रॉन / ड्रॉ वाइंडर / मदर यार्न	एफडीवाई
		हाई टेनेसिटी यार्न	एचटीवाई
		ड्रॉ टेक्सचर्ड यार्न / क्रिम्प्ड यार्न	डीटीवाई
		एयर टेक्सचर्ड यार्न	एटीवाई
		एयर कवर्ड यार्न	एसीवाई
		ट्विस्टेड और केबल्ड यार्न	टीसीवाई
		ऊपर दिए गए के अलावा (कृपया अलग से	ओटीवाई

		बताएं और एक्सप्लेनेशन/जस्टिफिकेशन दें)	
2	डेनियर	अगले 3 डिजिट डेनियर को दिखाते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है	xxx
		15 डेनियर	015
		20 डेनियर	020
		100 डेनियर	100
3	फिलामेंट्स	अगले 3 डिजिट फिलामेंट को दिखाते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है	Xxx
		12 फिलामेंट्स	012
		34 फिलामेंट्स	034
		210 फिलामेंट्स	210
4	चमक	ब्राइट लस्टर	बीआर
		सेमी डल	एसडी
		फुल डल	एफडी
		ऊपर दिए गए के अलावा (कृपया अलग से बताएं और एक्सप्लेनेशन/जस्टिफिकेशन दें)	ओटी
5	रंग	रॉ व्हाइट/ग्रे	जीआर
		डोप डाइड	डीवाई
		अनआइडेंटिफाइड	यूएन
		ऊपर दिए गए के अलावा (कृपया अलग से बताएं और एक्सप्लेनेशन/जस्टिफिकेशन दें)	ओटी

25. संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 54 के अंतर्गत शीर्ष 5402 में वर्गीकृत हैं। संबद्ध वस्तु का वर्गीकरण किया गया है तथा इनका आयात विभिन्न कोडों के अंतर्गत किया गया है, जिनमें 5402 19 10, 5402 19 90, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 45 00, 5402 51 00, 5402 61 00 शामिल हैं। अतिरिक्त रूप से, इस उत्पाद का आयात एचएस कोड 5402 19 20 के अंतर्गत भी किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात शीर्षक 5402 के अंतर्गत आने वाले अन्य एचएस कोडों के अंतर्गत भी किया गया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से 4-अंकीय स्तर पर एचएस कोडों पर विचार किया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

26. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएँ भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा रहे हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना जाना प्रस्तावित किया जाता है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

घ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

27. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. कुल घरेलू उत्पादन में आवेदकों का 36% हिस्सा प्रमुख हिस्सा माने जाने के लिए बहुत कम है। यह देखते हुए कि उत्पाद लंबे समय से शुल्क के अधीन रहा है, कम से कम 50% घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादकों को विचार में लिया जाना चाहिए। संबद्ध वस्तु से संबंधित सभी पूर्ववर्ती जांचों में आवेदकों ने घरेलू उत्पादन के 40% से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व किया है।

ख. यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्ववर्ती जांचों में भाग लेने वाले घरेलू उत्पादकों, जैसे प्रफुल ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड, एवाईएम सिंटेक्स, जेसीटी लिमिटेड, ने वर्तमान जांच में भाग क्यों नहीं लिया है।

ग. याचिका दायर करने के पश्चात ओरिलोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा सेंचुरी एन्का की विनिर्माण सुविधाओं में लगी आग के कारण उत्पादन और आपूर्ति में कमी आई है। ओरिलोन की सुविधाओं में आग लगने के बाद घरेलू उद्योग के उत्पादन की स्थिति 36% से कम हो गई है।

घ. ओरिलोन इंडिया द्वारा उत्पादन पुनः प्रारंभ करने के दावे को समर्थक सूचना द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए।

ङ. सेंचुरी एन्का और ओरिलोन ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। इसके अतिरिक्त, कतिपय समर्थकों ने भी संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है।

च. पीएनपी वर्तमान जांच में समर्थक भी नहीं है। घरेलू उद्योग ने पीएनपी को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में शामिल करने के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया है। 14 अन्य घरेलू उत्पादक हैं जिनपर विचार नहीं किया गया है।

छ. व्यापार सूचना 20/2018 में निर्धारित हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण की 40 दिनों की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। शामिल करने का अनुरोध विलंबित है। विलंबित अनुरोधों को चीन जन. गण. और वियतनाम से एनिलीन (फा. सं. 6/42/2019-डीजीटीआर) तथा थाईलैंड से न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर (फा. सं. 6/30/2019-डीजीटीआर) में अस्वीकार किया गया था।

ज. ओरिलोन में आग के कारण घरेलू उद्योग के स्थिति में हुआ परिवर्तन पीएनपी को शामिल करके पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।

झ. पीएनपी के आँकड़ों का उपयोग जांच समाप्ति से बचने के लिए क्षति के अनुकूल दावे प्रस्तुत करने के लिए नहीं किया जा सकता।

ञ. यदि वर्तमान जांच समाप्त कर दी जाए और संशोधित घरेलू उद्योग के साथ नया आवेदन दायर किया जाए तो कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं होगा।

ट. पीएनपी से संबंधित सूचना 17 फरवरी 2025 को प्राधिकारी को प्रदान की गई थी और 3 महीने बाद परिचालित की गई। इस अनुचित विलंब के संबंध में कोई कारण प्रदान नहीं किया गया।

ठ. जांच की शुरुआत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर की गई थी और घरेलू उद्योग की स्थिति उसी समय निर्धारित हो गई थी। मैनुअल के अनुसार, पर्याप्त और ठोस औचित्य के बिना स्थिति में मनमाना परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इस चरण पर पीएनपी को शामिल करने का कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इसे जॉच शुरूआत चरण में क्यों शामिल नहीं किया गया, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।

ड. जॉच की शुरूआत होने के 5 महीने बाद पीएनपी पॉलिमर्स को घरेलू उद्योग के घटक के रूप में विलंब से शामिल करना प्रक्रियात्मक रूप से अनियमित है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) का उल्लंघन है, जो जांच की शुरुआत को आवेदकों के स्थिति और समर्थन की संख्या पर आधारित करते हैं।

ढ. यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या पीएनपी ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है या वह किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है। पूर्ववर्ती जांच में प्राधिकारी ने उल्लेख किया था कि पीएनपी संबद्ध वस्तुओं का आयातक था।

ण. नए उत्पादक को शामिल करने से क्षति विश्लेषण के अंतर्निहित सभी आर्थिक मापदंड प्रभावित हो जाते हैं।

त. घरेलू उद्योग को स्थिति संशोधित करने और समेकित आँकड़े पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति देना अनुचित है, क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस चरण पर जांच में शामिल होने अथवा अपने उत्तरों में संशोधन/उन्हें पूर्ण करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

थ. जॉच की शुरूआत के समय आवेदकों का हिस्सा पूर्ववर्ती जांचों की तुलना में कम है।

द. यदि पीएनपी को स्वीकार किया जाता है, तो प्राधिकारी को जॉच की शुरूआत के बाद के चरण में मानदंड, प्रक्रिया और समर्थक साक्ष्य का विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए।

ध. पीएनपी द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों को क्षति और कारणात्मक संबंध विश्लेषण के लिए तब तक पृथक रखा जाना चाहिए, जब तक कि हितधारकों को इसके समावेशन और प्रभाव पर टिप्पणी करने की अनुमति न दी जाए।

<u>घ.2. घरेलू उद्योग के विचार</u>

28. घरेलू उद्योग द्वारा दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान जांच की शुरुआत के लिए आवेदन सेंचुरी एन्का लिमिटेड, गुजरात पॉलीफिल्म्स लिमिटेड तथा ओरिलोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है।

ख. पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन का समर्थन एगलॉन इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड, सालासर पॉलीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा टोड़ी रेयॉन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की अनुरोधों के विपरीत, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए आवेदकों को कुल भारतीय उत्पादन का कम से कम 50% प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य हो।

घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की अनुरोधों के विपरीत, प्रत्येक जांच में घरेलू उद्योग का दायरा समान होना आवश्यक नहीं है। कई ऐसी निर्णायक समीक्षाएँ हुई हैं जिनमें घरेलू उद्योग का दायरा परिवर्तित हुआ है। पूर्ववर्ती जांच में भाग लेने वाले उत्पादकों में से जेसीटी लिमिटेड ने संचालन बंद कर दिया है, प्रफुल ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया है और एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड ने वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है।

ड़. पीएनपी पॉलिमर्स लिमिटेड ने प्राधिकारी द्वारा भागीदारी के लिए भेजे गए पत्र के अनुपालन में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की तथा स्वयं को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में उस पर विचार किए जाने का अनुरोध किया।

च. जॉच की शुरूआत के चरण में, आवेदकों का कुल भारतीय उत्पादन में 37% हिस्सा था तथा समर्थकों के साथ उसका हिस्सा 62% था। पीएनपी को शामिल करने के पश्चात, घरेलू उद्योग के पास कुल भारतीय उत्पादन का 46% हिस्सा हो गया। यह

ईसी - फास्टनर्स (चीन) मामले में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

छ. पीएनपी को शामिल करने से क्षति निर्धारण के लिए प्राधिकारी को अधिक सटीक और व्यापक परिदृश्य प्राप्त होता है तथा सूचना के विकृतिकरण की संभावना कम होती है। जॉच की शुरूआत के पश्चात घरेलू उद्योग के दायरे में किसी घरेलू उत्पादक को शामिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और ऐसी प्रथा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा प्राधिकारी की पूर्ववर्ती प्रथाओं के अनुरूप है।

ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की अनुरोधों के विपरीत, पीएनपी को केवल क्षति प्रदर्शित करने के लिए शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरुआत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर की थी, जो पहले से ही घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाते थे।

झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, यद्यपि स्थिति का मानदंड जॉच की शुरूआत के समय पूरा किया जाना आवश्यक है, तथापि जॉच की शुरूआत के पश्चात घरेलू उद्योग के दायरे में उत्पादक जोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्राधिकारी ने पहले की अनेक जांचों में जॉच की शुरूआत के पश्चात घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया है।

ञ. हितबद्ध पक्षकारों ने परस्पर विरोधी दावे किए हैं, क्योंकि प्रारंभ में उन्होंने आवेदन का विरोध यह कहते हुए किया कि स्थिति अपर्याप्त है और बाद में अतिरिक्त उत्पादकों को शामिल करने का विरोध किया।

ट. पीएनपी को शामिल करने का अनुरोध विलंबित नहीं है, क्योंकि पीएनपी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से काफी पहले अपनी सूचना प्रस्तुत की थी। चूँकि पीएनपी आवेदक नहीं है, अतः उस पर भी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समान समय-सीमाएँ लागू होती हैं। निर्धारित समय-सीमा के भीतर विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के कारण हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण नहीं किए जाने की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

ठ. ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि जो उत्पादक समर्थक नहीं है, उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा न माना जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का विरोध करने वाले उत्पादक को भी घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाता है।

ड. पीएनपी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है तथा वह विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

ढ़. पीएनपी से संबंधित सूचना प्राधिकारी से मांगे गये और प्राप्त मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई है।

ण. 4 उत्पादकों को शामिल करते हुए घरेलू उद्योग की समेकित सूचना स्वेच्छा से परिचालित की गई है। हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि पीएनपी को शामिल करने से उनके हितों को कैसे क्षति पहुँची है, क्योंकि सभी पक्षकारों को समेकित सूचना पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया गया। समेकित क्षति संबंधी सूचना मौखिक सुनवाई से 2 महीने पहले परिचालित की गई थी तथा पक्षकारों को उनपर टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

त. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की अनुरोधों के विपरीत, ओरिलोन और सेंचुरी के संयंत्रों में लगी आग जांच अवधि के पश्चात की घटनाएँ हैं, जिनका संचालन पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। इससे घरेलू उद्योग के स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

थ. ओरिलोन और सेंचुरी ने जांच अवधि के दौरान नगण्य आयात किए हैं और ऐसे विवरण पहले ही आवेदन में प्रदान किए जा चुके हैं। नियमावली किसी ऐसे उत्पादक को, जिसने विचाराधीन वस्तुओं का आयात किया हो, आवेदन का समर्थन करने से नहीं रोकती है। अतः समर्थकों द्वारा किए गए आयात की मात्रा संगत नहीं है। शुल्क लगाए जाने के पश्चात उत्पादकों द्वारा किए गए किसी भी आयात पर भी पाटनरोधी शुल्क लागू होगा।

<u>घ.3. प्राधिकारी द्वारा जॉच</u>

29. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' से अभिप्राय उन घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण में संलग्न हैं तथा उससे संबंधित किसी भी गतिविधि में संलग्न हैं, या ऐसे उत्पादक जिनका सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनाता है; परंतु यह तब लागू नहीं होगा जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित की

गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं आयातक हों। ऐसे मामलों में 'घरेलू उद्योग' शब्द का आशय शेष उत्पादकों से लगाया जाएगा।"

30. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की शुरुआत के लिए आवेदन सेंचुरी एन्का लिमिटेड, गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड तथा ओरिलोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदन का समर्थन एगलॉन इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड, सालासर पॉलीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा टोड़ी रेयॉन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था।

31. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जॉच की शुरूआत होने के पश्चात, जॉच की शुरूआत की सूचना तथा प्रपत्र आवेदन प्रारूप भारत में विचाराधीन वस्तुओं के सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों, जिसमें सभी घरेलू उत्पादक भी शामिल थे, को भेजा गया। उक्त सूचना के अनुसरण में पीएनपी पॉलिमर्स लिमिटेड ने 17 फरवरी 2025 को अपनी क्षति और लागत संबंधी जानकारी प्रस्तुत की तथा अनुरोध किया कि उसे वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाए। घरेलू उद्योग में इसके समावेशन के पश्चात, पीएनपी पॉलिमर्स लिमिटेड द्वारा दायर आँकड़ों का अगोपनीय अंश तथा पीएनपी को शामिल करते हुए समेकित क्षति संबंधी जानकारी 14 मई 2025 को हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग द्वारा परिचालित की गई। अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को पीएनपी की ओर से परिचालित जानकारी, जिसमें समेकित जानकारी भी शामिल है, पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया गया।

32. प्राधिकारी को इस अनुरोध में कोई तथ्य प्रतीत नहीं होता है कि पीएनपी द्वारा दायर सूचना विलंबित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीएनपी वर्तमान जांच में आवेदक नहीं था। वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्यातक उत्तर/आयातक उत्तर/प्रयोक्ता उत्तर तथा आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2025 थी। चूँकि पीएनपी ने 17 फरवरी 2025 को अपने अनुरोध सहित सूचना दायर की, जो कि अंतिम तिथि से काफी पहले है, अतः उक्त सूचना को विलंबित नहीं माना जा सकता।

33. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि स्थिति को इस चरण पर संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जॉच की शुरूआत के समय निर्धारित हो जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि स्थिति को जॉच की शुरूआत के समय स्थापित करना होता है, तथापि जॉच की शुरूआत के पश्चात उत्पादकों को जोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जॉच की शुरूआत के समय आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की

आवश्यकताओं को पूरा करता था। इस तथ्य पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रश्न नहीं उठाया गया है। जॉच की शुरूआत के पश्चात किसी अन्य उत्पादक का समावेशन नियम 5(3) के अंतर्गत स्थापित स्थिति को प्रभावित नहीं करता है।

34. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग की संरचना इस प्रकार निर्धारित की जाए कि वह समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों का अधिक प्रतिनिधित्व करे। यदि कोई उत्पादक जॉच की शुरूआत के पश्चात आगे आता है, तो नियमावली के अनुसार उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाना चाहिए, बशर्ते यह पाया जाए कि उसके द्वारा प्रस्तुत आँकड़े क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से पर्याप्त और सटीक हैं। पीएनपी को शामिल करने से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्राधिकारी को अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त होती है तथा सूचना के विकृतिकरण का जोखिम कम होता है।

35. इस अनुरोध के संबंध में कि पीएनपी का उपयोग क्षति के दावों को मजबूत करने के लिए किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि यदि पीएनपी को घरेलू उद्योग का हिस्सा न माना जाए तो घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। किसी भी स्थिति में, यदि कोई उत्पादक जांच में भाग लेने के लिए आगे आता है, तो उसे घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल या बाहर रखने का निर्णय इस पर निर्भर नहीं करता कि उसका समावेशन क्षति को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा।

36. इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया है कि पीएनपी समर्थक नहीं था और उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है जो यह अपेक्षा करता हो कि किसी उत्पादक को जॉच की शुरूआत के चरण में समर्थक होना अनिवार्य है, ताकि उसे बाद में घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जा सके। पीएनपी भारत में विचाराधीन वस्तुओं का एक घरेलू उत्पादक है और उसने विस्तृत क्षति संबंधी जानकारी प्रदान की है। तदनुसार, उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा माना गया है।

37. इस अनुरोध के संबंध में कि ओरिलोन के संयंत्र में लगी आग के पश्चात स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए पीएनपी की सूचना प्रदान की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि ओरिलोन के संयंत्र में आग जांच अवधि के पश्चात लगी। चूँकि घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति जांच अवधि के दौरान के उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, अतः जांच अवधि के पश्चात लगी

आग आवेदकों के स्थिति को प्रभावित नहीं करती। अतः पीएनपी का समावेशन जॉच की शुरूआत के समय के स्थिति को प्रभावित नहीं करता।

38. इस अनुरोध के संबंध में कि वर्तमान जांच समाप्त कर दी जाए और पीएनपी को आवेदक के रूप में शामिल करते हुए नया आवेदन दायर किया जाए, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच समाप्त करने का कोई आधार नहीं है। पीएनपी को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करना या न करना आवेदकों को वर्तमान जांच दायर करने से अयोग्य नहीं बनाता है। चूँकि आवेदक पीएनपी को शामिल किए बिना भी स्थिति मानदंड को पूरा करते हैं, अतः वर्तमान मामले में जांच समाप्त करना उचित नहीं है।

39. इस दावे के संबंध में कि सेंचुरी और ओरिलोन द्वारा उत्पादन में व्यवधान के कारण देश में मांग-आपूर्ति अंतर उत्पन्न हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है और आग लगने के कारण उत्पादन में व्यवधान एक अस्थायी स्थिति थी।

40. इस दावे के संबंध में कि जॉच की शुरूआत के समय आवेदकों का हिस्सा पूर्ववर्ती जांच की तुलना में कम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक जांच में घरेलू उद्योग का दायरा पृथक रूप से निर्धारित किया जाता है। चूँकि आवेदक और पीएनपी पॉलिमर्स जांच अवधि के दौरान कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा दर्शाते हैं, इसलिए उन्हें घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए पात्र माना गया है।

41. हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पूर्ववर्ती जांच के आवेदकों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया। तथापि, जैसा कि घरेलू उद्योग ने रेखांकित किया है, पूर्ववर्ती आवेदक जेसीटी लिमिटेड ने प्रचालन बंद कर दिया है, जबकि प्रफुल ओवरसीज़ लिमिटेड को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया है। एवाईएम सिंटेक्स के संबंध में, उक्त उत्पादक ने जांच का समर्थन किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी या आवेदकों पर घरेलू उद्योग का वही दायरा बनाए रखने का कोई विधिक दायित्व नहीं है। प्राधिकारी को केवल यह सुनिश्चित करना है कि उनके समक्ष प्रस्तुत घरेलू उत्पादकों का उत्पादन कानून के अंतर्गत घरेलू उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का गठन करने वाले किसी भी घरेलू उत्पादक का संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।

43. पूर्वोक्त के आलोक में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक और पीएनपी घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्से को दर्शाते हैं। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष प्रस्तावित करते हैं कि आवेदक और पीएनपी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं तथा आवेदन नियम 5(3) की दृष्टि से स्थिति संबंधी आवश्यकता को पूरा करते हैं।

ड़. <u>गोपनीयता</u>

ड़.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

44. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. जहाँ घरेलू उद्योग में दो से अधिक उत्पादक शामिल हों, वहाँ समेकित जानकारी वास्तविक आँकड़ों में प्रदान की जानी चाहिए, न कि प्रवृत्ति के आकड़ों में। आँकड़ों पर गोपनीयता के दावों की समीक्षा की जानी चाहिए।

ख. घरेलू उद्योग ने बिक्री कीमत, बिक्री लागत, बिक्री कीमत, लाभप्रदता, कीमतह्रास, नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियाँ, कार्यशील पूंजी तथा स्व-आयातित उत्पाद की मात्रा, कीमत और कुल कीमत के संबंध में समेकित आँकड़े साझा नहीं किए हैं।

ड़.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

45. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा व्यापार सूचना 10/2018 के उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।

ii. फुजियान काइबांग पॉलीअमाइड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने अपने घरेलू बाजार में बेचे गए उत्पादों तथा भारत को निर्यातित उत्पादों के बीच कतिपय भिन्नताओं का दावा किया है। उक्त का बिना उचित कारण के गोपनीय होने का दावा किया गया है।

iii. भारत में निर्यात कीमत पर समायोजन का दावा करने की पद्धति का खुलासा नहीं किया गया है।

iv. पीएनपी को शामिल करने के पश्चात गोपनीयता के दावे आवेदकों की जानकारी के समान ही रहे हैं।

v. समग्र बिक्री मात्रा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा की गई है। समेकित कीमत संबंधी जानकारी का प्रकटन कीमत निर्धारण और लाभप्रदता संबंधी जानकारी का प्रकटन करेगा, जो संवेदनशील सूचना है; इसका प्रकटन भविष्य की वार्ताओं में प्रयोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ देगा तथा घरेलू उत्पादकों के हितों को प्रभावित करेगा।

ड़.3. प्राधिकारी द्वारा जॉच

46. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जॉच निम्नानुसार की गई है:

47. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय अंश सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। गोपनीयता के संबंध में एडी नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

''(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम(2), नियम 15 के उपनियम(4) और नियम 17 के उपनियम(4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है। (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध

अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

48. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी का गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जॉच की गई है। संतुष्ट होने पर, जहाँ आवश्यक पाया गया, वहाँ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस अनुरोध के संबंध में कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों अपने उत्तर में कतिपय जानकारी का प्रकटन करने में विफल रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने गोपनीयता के दावों का औचित्य सिद्ध किया है। इसके अलावा, ऐसी जानकारी के अप्रकटन से घरेलू उद्योग के हितों को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है।

49. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने कीमत निर्धारण और लाभप्रदता संबंधी जानकारी के बारे में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कीमत निर्धारण और लाभप्रदता की जानकारी के प्रकटन से उसकी लागत और लाभप्रदता संबंधी जानकारी का प्रकटन हो जाएगा और उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी इस संबंध में घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावों को स्वीकार करते हैं।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

50. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग द्वारा अपनाए गए आयात आँकड़ों को विचाराधीन उत्पाद के संशोधित दायरे और पीसीएन के अनुसार संशोधित नहीं किया गया है।

ii. उपयोग किए गए आयात आँकड़ों की विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए।

iii. जॉच की शुरूआत करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे और आवेदन विधिक और तथ्यात्मक आधार से रहित था।

iv. जांच अवधि में अनियमितता के कारण जांच अवैध है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3क) के अंतर्गत यथा अपेक्षित 12 माह की अवधि से विचलन की अनुमति देने के लिए प्राधिकारी ने कोई औचित्य नहीं दिया।

v. जॉच अवधि के बारे में प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र जॉच के बिना, जॉच शुरूआत अधिसूचना में केवल आवेदकों के अनुरोधों को दर्शाया गया है। भारत संघ बनाम मोहन लाल कपूर और भारत संघ बनाम आनंद मोहन शरण मामलों में यह माना गया कि प्राधिकारी को स्पष्ट कारण लिखित में दर्ज करने चाहिए, जो विवेक के प्रयोग को प्रदर्शित करते हों।

vi. मात्र आवेदकों की सुविधा, लंबी जांच अवधि पर विचार करने के मूल्यांकन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

vii. अपेक्षाकृत लंबी जांच अवधि पर विचार करने के संबंध में कारणों के अभाव में, जॉच की शुरूआत स्वयं कानूनी दृष्टि से अमान्य है।

च.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

51. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की अनुरोधों के विपरीत, अद्यतन आयात जानकारी प्रदान करने का घरेलू उद्योग पर कोई दायित्व नहीं है।

ii. प्राधिकारी अपनी जॉच के लिए डीजीसीआईएंडएस अथवा डीजी सिस्टम्स की सूचना पर विचार कर सकते हैं।

iii. अन्य हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं कर सके कि जॉच की शुरूआत करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। जांच पर्याप्त सटीकता और पर्याप्तता वाले प्रदत्त साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभ की गई है।

iv. आवेदकों ने 15 माह की जांच अवधि प्रस्तावित की, जिसमें एक वित्तीय वर्ष और एक अतिरिक्त तिमाही शामिल है, क्योंकि जुलाई 2023 - जून 2024

(12 माह) को जांच अवधि मानने पर लागत संबंधी आँकड़ों को तैयार करने में महत्वपूर्ण व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होतीं। इससे दो पृथक वित्तीय वर्षों की जानकारी संकलित करनी पड़ती, जबकि अधिकांश आवेदक सीमित संसाधनों वाली छोटी कंपनियाँ हैं। 15 माह की जांच अवधि मानक प्रचालन प्रक्रियाओं की पुस्तिका के अनुरूप है।

v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोधों की जांच करने के पश्चात 15 माह की जांच अवधि पर विचार किया है।

च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जॉच</u>

52. विचाराधीन उत्पाद के लिए संशोधित आयात आँकड़े तथा पीसीएन-वार आयात आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा प्रस्तुत आयात आँकड़ों की विश्वसनीयता की जाँच किए जाने संबंधी अनुरोधों के संदर्भ में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आँकड़ों पर भरोसा नहीं किया है। इसके बजाय, वर्तमान जाँच के उद्देश्य से प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संशोधित दायरे के अनुसार आयात सौदों पर विचार किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एक बार पीसीएन पद्धति अधिसूचित हो जाने के पश्चात प्रत्येक पक्षकार पर यह दायित्व है कि वह उक्त पीसीएन पद्धति के आधार पर अपनी सूचना प्रस्तुत करे। घरेलू उद्योग ने उक्त आवश्यकता का विधिवत रूप से अनुपालन किया है।

53. जाँच की शुरूआत करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य के दावों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि जाँच पाटन, क्षति तथा ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर आरंभ की गई है। आवेदकों द्वारा दायर की गई सूचना का सत्यापन किया गया तथा प्रस्तुत सूचना की सत्यता और पर्याप्तता के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के पश्चात ही वर्तमान जाँच आरंभ की गई थी।

54. इस अनुरोध के संबंध में कि जाँच अवधि अनियमित है तथा जॉच शुरूआत अधिसूचना में 15 माह की जाँच अवधि पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 12 माह की जाँच अवधि से विचलन अनेक मामलों में स्वीकार किया गया है, बशर्ते कि ऐसे विचलन के कारण बताए गए हों। यदि 12 माह की अवधि पर विचार किया जाए तो व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न

होती हैं, क्योंकि इससे दो वित्तीय वर्षों की सूचनाओं का विभाजन करना पड़ेगा। चूँकि उद्योग में छोटे उत्पादक भी शामिल हैं, अतः दो वित्तीय वर्षों में विस्तृत जाँच अवधि पर विचार करने से घरेलू उत्पादकों के लिए अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होती तथा छोटे उत्पादकों के लिए वर्तमान जाँच में भाग लेना भी असंभव हो सकता था। तदनुसार, वर्तमान जाँच में 15 माह की जाँच अवधि पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने जॉच शुरूआत अधिसूचना में भी इसका उल्लेख किया है।

> *"11. आवेदकों ने 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 की अवधि को जाँच अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि 15 माह की जाँच अवधि वर्तमान जाँच के उद्देश्य से उपयुक्त है, क्योंकि इससे एक पूर्ण लेखा वर्ष तथा हाल की अवधि दोनों को शामिल किया जा सकेगा। यह भी अनुरोध किया गया है कि जुलाई 2023 - जून 2024 को जाँच अवधि के रूप में विचार करने से लागत संबंधी आँकड़ों को तैयार करने में महत्वपूर्ण व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, क्योंकि इसके लिए दो पृथक वित्तीय वर्षों से सूचना संकलित करनी होगी। आवेदकों ने दावा किया है कि उनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत छोटी कंपनियाँ हैं जिनके संसाधन सीमित हैं। दो पृथक वित्तीय वर्षों से सूचना निकालकर और संकलित कर जानकारी तैयार करना आवेदकों के लिए अनुचित रूप से अत्यधिक बोझिल होगा।*
>
> *12. उपर्युक्त के आलोक में, वर्तमान जाँच के उद्देश्य से उपयुक्त जाँच अवधि 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 माह) मानी गई है। क्षति विश्लेषण अवधि में जाँच अवधि तथा उससे पहले के तीन वित्तीय वर्ष शामिल हैं, अर्थात् 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 तथा जाँच की अवधि।"*

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

55. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

    i. वर्तमान मामले में सैम्पलिंग अनावश्यक है क्योंकि केवल 8 उत्पादक चीन से और 2 उत्पादक वियतनाम से भागीदारी कर रहे हैं; अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण व्यवहार्य है।

ii. केवल 2 उत्पादक/निर्यातक समूहों को प्रतिदर्श कंपनियों के रूप में मानना अपर्याप्त है। हाल की सभी जाँचों में जहाँ सैम्पलिंग की गई है, प्राधिकारी ने कम से कम 3 उत्पादक समूहों का चयन किया है।

iii. नियम 17(3) अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण की अपेक्षा करते हैं, जो प्रत्येक सहयोगी उत्पादक के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

iv. संबद्ध वस्तुओं से संबंधित पूर्ववर्ती जाँच में प्राधिकारी ने सैम्पलिंग नहीं की थी तथा सभी के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया था। हाल की सभी जाँचों में जहाँ सैम्पलिंग की गई है, प्राधिकारी द्वारा कम से कम 3 समूहों का चयन किया गया है। इसके अलावा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स तथा रेज़िन बॉन्डेड थिन व्हील्स जैसे मामलों में प्राधिकारी ने पर्याप्त भागीदारों के होने के बावजूद सैम्पलिंग का सहारा नहीं लिया था।

v. सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों ने बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा दावा नहीं किया है प्राधिकारी के लिए केवल निर्यात कीमत की जाँच करनी अपेक्षित है। अतः अलग-अलग निर्धारण अत्यधिक बोझिल नहीं होगा।

vi. सैम्पलिंग से ऐसे गैर-नमूना सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के साथ पक्षपात होगा, जिन्होंने प्रश्नावली का समय पर उत्तर प्रस्तुत किया है।

vii. दिसंबर 2025 तक चीन से भागीदार सभी उत्पादकों की अलग-अलग निर्यात कीमतों का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है।

viii. यदि सैम्पलिंग की जाती है, तो इसे जॉच शुरूआत से 80 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए तथा निर्यात मात्रा भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों के एक क्रॉस-सेक्शन से ली जानी चाहिए, जैसा कि प्रचालन प्रक्रिया पुस्तिका में वर्णित है।

ix. फुजियान हाईसन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड तथा फुजियान लिहेंग पॉलीएमाइड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड एक ही समूह से संबंधित हैं, जैसा कि बाद में प्रस्तुत ईक्यूआर में दिया गया है। प्रभावी रूप से केवल दो उत्पादक समूहों को नमूना किया गया है।

x. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकतम श्रेणियों के पीसीएन, उद्योग प्रथाएँ तथा निर्यात पैटर्न का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

xi. कम से कम 5-6 समूहों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जूट संबंधी जाँच में प्राधिकारी ने 19 तक उत्पादकों को नमूना का हिस्सा माना था। इसके अलावा, जूट उत्पाद संबंधी जांच की तरह "स्तरीकृत और सोद्देश्य प्रतिदर्श पद्धति" अपनाई जानी चाहिए।

xii. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नमूना में लिए गए निर्यातकों के उत्तर पूर्ण और उच्चतम गुणवत्ता के हों।

xiii. प्रुटेक्स नायलॉन कंपनी लिमिटेड को नमूना उत्पादकों में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी निर्यात मात्रा नमूना उत्पादकों के तुलनीय है। प्रुटेक्स ने भारत को 20 से अधिक पीसीएन का निर्यात किया है जो नमूना को अधिक प्रतिनिधि बनाएगा।

xiv. डिकाई को नमूना उत्पादक/निर्यातक बनाया जाना चाहिए क्योंकि उसने उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उच्च कीमतों पर निर्यात किए हैं जिससे नमूना अधिक प्रतिनिधि होगा।

xv. यदि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है, तो सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर अलग-अलग शुल्क दर की सिफारिश की जानी चाहिए।

xvi. यदि प्रुटेक्स को सैम्पल में शामिल नहीं किया जाता है तो सैम्पल उत्पादकों के भारित औसत पाटनरोधी शुल्क को प्रुटेक्स तथा वानहोंग पर लागू किया जाना चाहिए। यीवू हुआडिंग के लिए अलग-अलग शुल्क दर की सिफारिश की जानी चाहिए, क्योंकि उसका सैम्पल लिया गया है।

xvii. ह्योसुंग टीएनसी, कोरिया की भारत में दो सहायक कंपनियाँ हैं, अर्थात् ह्योसुंग कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा ह्योसुंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कोरिया में स्थापित कंपनी ह्योसुंग टीएनसी की प्रत्यक्ष सहायक कंपनियाँ हैं। ये ह्योसुंग डोंग नाई तथा ह्योसुंग नायलॉन, वियतनाम की सहायक कंपनियाँ नहीं हैं। इसके अलावा, इन ये सहायक कंपनियॉ समूह से संबंधित हैं किंतु वर्तमान जॉच में पीयूसी की बिक्री, खरीद या उत्पादन में

शामिल नहीं हैं। इन दो कंपनियों के अलावा, ह्योसंग डोंग नाइ और ह्योसंग नाइलॉन, वियतनाम की भारत में कोई संबंधित कंपनी नहीं है।

छ.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

56. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं -

i. संबद्ध वस्तुओं के संबंध में अनेक देशों से पाटन का इतिहास रहा है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देशों के उत्पादक/निर्यातक उचित कीमत पर बिक्री करने में असमर्थ हैं और उन्हें भारत में बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए पाटन का सहारा लेना पड़ता हैं।

ii. चीन जनवादी गणराज्य को चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण एडी नियमावली के अनुबंध-I के नियम 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

iii. चूंकि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान अभी भी प्रभावी हैं, इसलिए चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं।

iv. आवेदन में, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया गया। वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य की गणना वियतनाम में उत्पादन लागत के आधार पर की गई, जो कैप्रोलैक्टम के कीमत और वियतनाम में विद्युत दरों, तथा घरेलू उद्योग की रूपांतरण लागत और उपभोग मानकों और युक्तिसंगत लाभ पर आधारित है।

v. पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

vi. ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड तथा ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, किन्तु दक्षिण कोरियाई वस्त्र निर्माता ह्योसंग टीएनसी की अपनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियों का खुलासा करने में विफल रहे हैं।

vii. ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड, ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड तथा उनकी व्यापारिक कंपनी शिनहान ट्रेडिंग ने अन्य पीसीएन के अतिरिक्त प्रथम ग्रेड

और द्वितीय ग्रेड के आधार पर अपनी बिक्री सूचना प्रस्तुत की है। इन पक्षकारों ने अधिसूचित पीसीएन का पालन नहीं किया है तथा प्राधिकारी के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। ऐसे पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तर अधूरे हैं तथा अस्वीकृत किए जाने चाहिए।

viii. सार्वजनिक सूचना से ज्ञात होता है कि ह्योसंग टीएनसी की वस्त्र और व्यापार में कार्यरत अनेक सहायक कंपनियाँ हैं। मूल्य श्रृंखला में ऐसी कंपनियों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए।

ix. हाईसन ने अपने द्वारा अथवा अपनी सहयोगी लिहेंग द्वारा उत्पादित उत्पादों का निर्यात किया है। चूंकि संबंधित कंपनियॉ संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में कार्यरत हैं, इसलिए यह जांच किया जाना आवश्यक है कि समूह की कंपनियों के भीतर की गई बिक्री आर्म्स लेंथ कीमत पर की गई है या नहीं।

x. प्रूटेक्स को नमूने का भाग नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि सैम्पल चयन सर्वाधिक निर्यात मात्रा के आधार पर किया गया है।

xi. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 तथा नियमावली में सैम्पल चयन के लिए उत्पाद श्रेणियों या पीसीएन को मानदंड के रूप में विचार करने का प्रावधान नहीं है।

xii. पूर्ववर्ती जांच का संदर्भ, जिसमें अधिक उत्पादकों का नमूना लिया गया था, अनुपयुक्त है। प्राधिकारी ने हाल ही में अत्यधिक संख्या में जांचें आरंभ की हैं, जिससे प्रत्येक उत्पादक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करना अव्यावहारिक हो गया है।

xiii. दो उत्पादकों/निर्यातकों का सैम्पल चयन यूरोपीय संघ, जीसीसी, चीन तथा अमेरिका जैसे वैश्विक प्रचलनों के अनुरूप है। इन क्षेत्राधिकारों ने भारत के प्राधिकारी की तुलना में कम मामलों की जॉच शुरू की है, तथापि केवल 2-3 उत्पादकों पर ही विचार किया गया है।

xiv. अन्य क्षेत्राधिकारों में 2 से 3 उत्पादकों का नमूना लिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि उससे कोई पक्षपात नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि वर्तमान मामले में किया गया नमूना चयन पक्षपातपूर्ण है।

xv. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 तथा नियमावली में मात्रा बैंड, निर्यात चैनल या उत्पाद श्रेणियों को नमूना चयन के मानदंड के रूप में विचार करने का प्रावधान नहीं है। पाटनरोधी करार निर्यात की मात्रा के प्रतिशत पर विचार करने का प्रावधान करते हैं।

xvi. प्रचालन की प्रक्रिया पुस्तिका भी यह प्रावधान करती है कि नमूना चयन के लिए निर्यात मात्रा अथवा आंकड़ों का एक प्रतिनिधिक खंड विचार किया जाना चाहिए।

xvii. प्रचालन की प्रक्रिया पुस्तिका नमूना चयन के लिए कोई "समय-सीमा" निर्धारित नहीं करती है। पुस्तिका में प्रदत्त समय-सीमा केवल दिशानिर्देश है तथा प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है।

xviii. कानून में प्रदत्त उत्तर की गुणवत्ता के आधार पर उत्पादकों का नमूना चयन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

xix. पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 9.4 यह प्रावधान करता है कि गैर-नमूना उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नमूना उत्पादकों के भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें शून्य तथा न्यूनतम मार्जिन तथा उपलब्ध तथ्यों पर आधारित मार्जिन को शामिल नहीं किया जाएगा।

xx. केवल इस आधार पर कि उत्पादक/निर्यातक ने उच्च गुणवत्ता के उत्पादों का निर्यात किया है, उसे नमूना चयन में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा इंगित करेगा कि ऐसे निर्यात प्रतिवादी उत्पादकों और समग्र आयातों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

xxi. नमूना उत्पादकों को, प्रस्तुत सूचना की सत्यता और पर्याप्तता के विधिवत रूप से सत्यापन के उपरांत, अलग-अलग शुल्क दर प्रदान की जा सकती है।

<u>छ.3. प्राधिकारी द्वारा जॉच</u>

57. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

(ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं -

i. फुजियान लिहेंग पॉलीअमाइड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
ii. फुजियान काइबांग पॉलीअमाइड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
iii. फुजियान हाईसनसन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
iv. यीवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड
v. प्रूटेक्स नायलॉन कंपनी लिमिटेड
vi. फुजियान वानहोंग टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
vii. हांगझोउ डिकाई इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कंपनी लिमिटेड
viii. फुजियान चांगले योंगडा टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
ix. फुजियान बेटरलाइफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
x. ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड, वियतनाम

xi. ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड
xii. शिनहान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

59. ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड, ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड तथा उनके व्यापारी द्वारा प्रदान की गई पीसीएन-वार बिक्री सूचना के संबंध में यह नोट किया जाता है कि सूचना की सत्यता की जांच की गई है तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी ने उत्पाद के ग्रेड के आधार पर सूचना पर विचार नहीं किया है।

60. नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार, यद्यपि प्राधिकारी उन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे जिन्होंने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं; तथापि ऐसी स्थिति में जहां चीन से बड़ी संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किए हैं, प्राधिकारी सीमित संख्या के उत्पादकों तक जॉच को सीमित करते हुए नमूना चयन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। नियमावली में इस संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है -

"17(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के अधीन वस्तु के प्रत्येक ज्ञात निर्यातक या उत्पादक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे:

परंतु *ऐसे मामलों में जहां निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों या वस्तुओं के प्रकारों की संख्या इतनी अधिक हो कि ऐसा निर्धारण अव्यावहारिक हो जाए, वह अपने जॉच परिणाम को या तो उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध नमूनों का उपयोग करते हुए हितबद्ध पक्षकारों या वस्तुओं की युक्तिसंगत संख्या तक सीमित कर सकते हैं, अथवा संबंधित देश से निर्यात की उस अधिकतम प्रतिशत मात्रा तक सीमित कर सकते हैं जिसकी युक्तिसंगत रुप से जांच की जा सके; तथा इस प्रावधान के अंतर्गत किया गया निर्यातकों, उत्पादकों, या वस्तुओं के प्रकारों का कोई भी चयन, यथासंभव, संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों या आयातकों से परामर्श और उनकी सहमति से किया जाएगा:*

परंतु *आगे यह भी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी ऐसे निर्यातक या उत्पादक के लिए, जो प्रारंभ में चयनित नहीं किया गया हो, किंतु जिसने समय पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत की हो, अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे, सिवाय इसके कि जब निर्यातकों या उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक हो कि अलग-अलग जॉच अत्यधिक बोझिल हो और जांच के समयबद्ध समापन में बाधा उत्पन्न करती हो।"*

61. बड़ी संख्या में प्राप्त प्रत्युत्तरों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से उत्पादकों के नमूना चयन पर विचार किया। इसका प्रस्ताव दिनांक 8 मई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। विभिन्न पक्षकारों से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के पश्चात, नमूना उत्पादकों को दिनांक 5 जून 2025 की अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया गया। नमूना चयन भारत को निर्यात की मात्रा के आधार पर किया गया, जिसमें सर्वाधिक निर्यात मात्रा वाले उत्पादकों को नमूने का भाग माना गया। निम्नलिखित उत्पादकों को नमूने के भाग के रूप में माना गया था-

1. फुजियान हाईसन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड तथा फुजियान लिहेंग पॉलीअमाइड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
2. यीवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड

62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि नमूने में केवल 2 समूहों का चयन किया गया है, तथापि इसके अंतर्गत तीन उत्पादकों के प्रत्युत्तरों का जॉच अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर बल दिया है कि नमूने में तीन उत्पादकों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, नियम तीन उत्पादकों के विचार को अनिवार्य नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य क्षेत्राधिकारों जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ में प्रायः केवल 2 उत्पादकों का ही सैम्पल लिया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि नमूना उत्पादक सहयोगी उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा के 61% का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः नमूने के आकार को अपर्याप्त नहीं माना जा सकता, विशेषकर जब ऐसे नमूने में तीन उत्पादक शामिल हों।

63. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क में कोई सत्यता नहीं पाते हैं कि स्वैच्छिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने वाले निर्यातकों को अनिवार्यतः अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं किया है, सभी ऐसे निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। नियम 17(3) तथा उसके उपबंध स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि जांच के समयबद्ध समापन के हित में, आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकारी जॉच को कतिपय निर्यातकों तक सीमित कर सकते हैं।

64. यह नोट किया जाता है कि विशेष रूप से नमूना चयन संबंधी नियम प्राधिकारी को उत्पाद प्रकारों की संख्या तक अलग-अलग निर्धारण को सीमित करने की अनुमति देते

हैं। इसका अर्थ यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्राधिकारी ऐसा नमूना लें जिससे भारत को आपूर्ति किए गए सभी उत्पाद नमूने के अंतर्गत शामिल हो जाएँ।

65. इस संबंध में शामिल किए जाने के आधार के रूप में कि उत्पादक/निर्यातक ने विशेष उत्पादों की आपूर्ति की है या नमूने में शामिल उत्पाद प्रोफाइल व्यापक होना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियम 17(3) के अंतर्गत ऐसा कोई दायित्व नहीं है।

66. इस तर्क के संबंध में कि नमूना चयन जॉच शुरूआत की तारीख से 80 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 17(3) उत्पादकों/निर्यातकों के नमूना चयन की अनुमति देता है। नियमावली में किसी पाटनरोधी जॉच में उत्पादकों/निर्यातकों के नमूना चयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

67. इस अनुरोध के संबंध में कि पूर्ण और उच्चतम गुणवत्ता वाले प्रत्युत्तरों को नमूने में लिया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि नियम 17(3) के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्रत्युत्तर की गुणवत्ता के आधार पर नमूना चयन की अपेक्षा करता हो। नमूना चयन निर्यात की मात्रा के आधार पर किया गया है तथा प्रत्युत्तर की गुणवत्ता इस बात का आधार नहीं हो सकती कि उस पर अलग-अलग जॉच के लिए विचार किया जाए या नहीं। विशेष रूप से इसलिए कि यदि प्राधिकारी को प्रत्येक प्रत्युत्तर का विस्तार से जॉच कर यह निर्धारित करना पड़े कि कौन-सा प्रत्युत्तर उच्चतम गुणवत्ता का है, और तत्पश्चात उसे नमूने में शामिल किया जाए, तो इससे नमूना चयन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

68. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी दिनांक 5 जून 2025 की अधिसूचना के माध्यम से यथा अधिसूचित नमूना चयन को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि अन्य सभी सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण सहयोगी नमूना उत्पादकों के भारित औसत मार्जिन के आधार पर किया गया है।

छ.3.1. <u>सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

1. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

69. डब्लूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः

15. (क)जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत कीमत की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i)यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii)आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख)एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने

वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग)आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ)आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

70. घरेलू उद्योग ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि समान उत्पाद के उनके उद्योग में विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार-प्रेरित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

71. वर्तमान मामले में किसी भी नमूना उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार प्रावधान है -

''गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । ''

72. वर्तमान मामले में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित कीमत का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद के लिए कोई विशिष्ट टैरिफ कोड उपलब्ध नहीं है, जिससे किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों, को निर्यातित कीमत पर विचार किया जा सके। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया है, जो आवेदक की उत्पादन लागत पर आधारित है तथा जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजन किया गया है।

2. चीन जन. गण. के लिए निर्यत कीमत

फ़ुज़ियान हाईसन सिंथेटिक फ़ाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और फ़ुज़ियान लिहेंग पॉलियामाइड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

73. जांच की अवधि के दौरान, फ़ुज़ियान हाईसन सिंथेटिक फ़ाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (फ़ुज़ियान हाईसन) ने भारत को [***] मीट्रिक टन उत्पाद का निर्यात किया है, जिसमें से उसने [***] मीट्रिक टन उत्पाद को सीधे निर्यात किया है। शेष [***] मीट्रिक टन उत्पाद को अपने संबंधित उत्पादक, फ़ुज़ियान लिहेंग पॉलियामाइड इंडस्ट्री

कंपनी लिमिटेड (फ़ुज़ियान लिहेंग) के माध्यम से निर्यात किया है। फ़ुज़ियान लिहेंग पॉलियामाइड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने भारत को [***] मीट्रिक टन उत्पाद का निर्यात किया है, जिसमें से उसने [***] मीट्रिक टन उत्पाद को सीधे निर्यात किया है। शेष [***] मीट्रिक टन उत्पाद को अपने संबद्ध उत्पादक फ़ुज़ियान हाईसन सिंथेटिक फ़ाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया है।

फ़ुज़ियान हाईसन → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को
फ़ुज़ियान हाईसन → फ़ुज़ियान लिहेंग → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को
फ़ुज़ियान लिहेंग → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को
फ़ुज़ियान लिहेंग → फ़ुज़ियान हाईसन → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

74. फ़ुज़ियान हाईसन और फ़ुज़ियान लिहेंग द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों से ली गई बिक्री कीमत के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। डेस्क सत्यापन किए जाने के बाद समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी परिवहन, बंदरगाह एवं अन्य संबद्ध व्ययों, सीमा शुल्क घोषणा प्रभार, ऋण लागत, बैंक प्रभार एवं अन्य प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। प्राधिकारी ने फ़ुज़ियान हाईसन और फ़ुज़ियान लिहेंग द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और उसकी तुलना संबंधित पीसीएन के सामान्य मूल्य से की है। उसी के अनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया था। इस तरह से निर्धारित की गई निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

यिवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

75. जांच की अवधि के दौरान, यिवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड (यिवू हुआडिंग) ने [***] मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद सीधे भारत को निर्यात किया है। निर्यात कीमत का निर्धारण यिवू हुआडिंग द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों से ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है।

यिवू हुआडिंग → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

76. डेस्क सत्यापन किए जाने के बाद समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी परिवहन, बंदरगाह हैंडलिंग प्रभार, सीमा शुल्क घोषणा शुल्क, लोडिंग शुल्क और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। प्राधिकारी ने फ़ुज़ियान हाईसन और फ़ुज़ियान लिहेंग द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और उसकी तुलना संबंधित पीसीएन के सामान्य मूल्य से की है। उसी के अनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया था। इस तरह से निर्धारित की गई निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

चीन जन. गण. में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

77. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के गैर- नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत, चीन जन. गण. के नमूनाकृत उत्पादकों की भारित औसत निवल निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की है।

चीन जन. गण. में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

78. चीन जन. गण. के शेष सभी गैर- नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत मौजूदा तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

3. वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड और ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

वियतनाम से जांच में दो उत्पादकों/ निर्यातकों, ह्योसंग डोंग नाई और ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन ने भाग लिया है। दोनों संगत पक्षकार हैं।

79. जांच की अवधि के दौरान, ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड (ह्योसंग डोंग नाई) ने घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की ब्रिक्री की है, जबकि इसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके संबद्ध उत्पादक,

ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड (ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन) ने घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की ब्रिक्री की है, जबकि इसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत को निर्यातों की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

80. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, पीसीएन-वार संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री लेन देन निर्धारित करने के लिए सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया का आयोजन किया है। पीसीएन के मामले में, जहां पर 80% से अधिक बिक्री लाभ हुआ था, वहां पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना बाह्य बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जहां पर 80% से कम बिक्रियां लाभ पर हुई थीं, वहां पर सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभ योग्य बिक्रियों की कारखाना बाह्य बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। ऐसे पीसीएन के लिए जहां प्रत्येक उत्पादक के लिए 20% से कम बिक्रियां लाभ पर हुई थीं, या जहां पर पीसीएन को घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण पीसीएन की उत्पादन लागत के आधार किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और लाभ को समुचित रुप से जोड़ा गया है। डेस्क सत्यापन किए जाने के बाद स्वदेशी परिवहन, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए बिक्री कीमत में समायोजन किए गए हैं। ह्योसंग डोंग नाई और ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाए गए अनुसार की गई है।

वियतनाम में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

81. वियतनाम के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्याकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका मे दर्शाया गया है।

4. वियतनाम के लिए निर्यात कीमत

ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड और ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

82. जांच की अवधि के दौरान, ह्योसंग डोंग नाई ने भारत को [***] मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, जिसमें से [***] मीट्रिक टन उत्पाद सीधे निर्यात किया गया है। शेष [***] मीट्रिक टन उत्पाद को अन्य व्यापारियों, शिनहान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य (शिनहान) के माध्यम से निर्यात किया गया है। ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन ने भारत को [***] मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, जिसमें से [***] मीट्रिक टन सीधे निर्यात किया गया है। शेष [***] मीट्रिक टन को शिनहान के माध्यम से निर्यात किया गया है।

ह्योसंग डोंग नाई → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

ह्योसंग डोंग नाई → शिनहान → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन → शिनहान → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

83. निर्यात कीमत का निर्धारण, यथास्थिति ह्योसंग डोंग नाई, ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन और शिनहान द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों से ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, बीमा, स्वदेशी परिवहन, बंदरगाह एवं हैंडलिंग प्रभार, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए डेस्क सत्यापन किए जाने के बाद समायोजन किए गए हैं। इसके अलावा, शिनहान द्वारा कमीशन, बिक्रियों, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों को समायोजित किया गया। प्राधिकारी ने ह्योसंग डोंग नाई और ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन- वार निर्यात कीमत की गणना की है और उत्पादक के लिए संबद्ध पीसीएन के सामान्य मूल्य से इसकी तुलना की है। उसी के अनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस तरह से निर्धारित की गई निवल सामान्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

वियतनाम में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

84. वियतनाम के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत मौजूदा तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और यह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

छ.3.2. पाटन मार्जिन

85. संबद्ध उत्पादकों और निर्यातकों को एक ही संस्था माना गया और उन्हें एक ही पाटन मार्जिन प्रदान किया गया, जिसकी गणना सहयोगी संबद्ध उत्पदक और निर्यातक के पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई थी। क्षति मार्जिन का निर्धारण भी इसी तरह से किया गया है।

86. ऊपर दिए गए सामान्य मूल्य और निर्धारित की गई निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन इस प्रकार से है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	**उत्पादक का नाम**	**सामान्य मूल्य**	**निर्यात कीमत**	**पाटन मार्जिन**	**पाटन मार्जिन**	**पाटन मार्जिन**
		(यूएस डॉलर/ मी टन)	(यूएस डॉलर/ मी टन)	(यूएस डॉलर/ मी टन)	(%)	(रेंज)
क	**चीन जन. गण.**					
1.	फ़ुज़ियान हाईसन सिंथेटिक फ़ाइबर टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2.	फ़ुज़ियान लिहेंग पॉलियामाइड इंडस्ट्री कं, लिमिटेड	***	***	***	***	40-50

3.	फ़ुज़ियान समूह (भारित औसत)	***	***	***	***	15-25
4.	यिवू हुआडिंग नायलॉन कं, लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
5.	गैर नमूनाकृत कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर	***	***	***	***	20-30
6.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	45-55
ख	**वियतनाम**					
1.	ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	100-110
2.	ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	135-145
3.	ह्योसंग समूह (भारित औसत)	***	***	***	***	110-120
4.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	110-120

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

87. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने आयात वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है, और क्षति होने की बात जानबूझकर बनाई है।

ii. वियतनाम से होने वाले अयातों को जांच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उनकी मात्रा बहुत कम है, कुल आयातों का लगभग 3% और घरेलू खपत का 1% से भी कम है। इसके अलावा, ऐसे आयातों में डाउनग्रेडेड या विशिष्ट सामग्री सम्मिलित हैं या ये संबद्ध पक्षकारों के बीच के लेन देन हैं।

iii. सस्ते आयातों के बावजूद, मेक्सिको को संबद्ध देश के रुप में शामिल नहीं किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने चुनिंदा देशों को लक्ष्य किया है।

iv. आयातों की मात्रा में बढ़ोतरी भारतीय उद्योग की बढ़ती मांग और बिक्री में बढ़ोतरी के साथ हुई है। बाज़ार ने घरेलू आपूर्ति को हटाए बिना बढ़े हुए आयातों को समायोजित कर लिया।

v. समर्थकों द्वारा किए गए आयातों को क्षति के विश्लेषण से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि समर्थक पाटन को आसान नहीं बना सकते और फिर शुल्क लगाए जाने का समर्थन नहीं कर सकते। ऐसे आयातों से उन्हें घरेलू आपूर्ति को नियंत्रित करने और कीमतों पर प्रभाव डालने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षति का विश्लेषण अपने लाभ के तरीकों या सुरक्षा चाहने वाले पक्षकारों की बनाई आपूर्ति की रुकावटों से प्रभावित न हो।

vi. घरेलू उद्योग ने उन्नति की है और भारतीय उद्योग की कुल क्षमता में वृद्धि हुई है। क्षता में यह वृद्धि मांग या उत्पादन प्रवृत्ति में वृद्धि से समर्थित नहीं है।

vii. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, कर्मचारियों, वेतन भुगतान, उत्पादकता और समर्थकों की बिक्रियों में वृद्धि हुई है। जैसा कि थाईलैंड में डब्ल्यूटीओ पैनल - एच- बीम्स ने यह अवगत कराया है, घरेलू उद्योग के मापदंडों में सुधार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

viii. क्षमता उपयोग में गिरावट अति क्षमता, वास्तविक मांग के साथ तालमेल की कमी और अक्षमता के कारण से है।

ix. घरेलू उद्योग की बिक्रियों में महत्वपूर्ण और निरंतर वृद्धि हुई है, जो मात्रा आधारित क्षति के किसी भी दावे को खारिज करती है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों में और अधिक बढ़ोतरी चीन से आयातों में बढ़ोतरी से कहीं अधिक है।

x. वस्तुसूची नियंत्रण में रही है और वस्तुसूची कारोबार में सुधार हुआ है। वस्तुसूची में गिरावट आई है, जिसे उत्पादन और बिक्रियों के दिनों की संख्या के रूप में दिखाया गया है।

xi. बिक्रियों की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति लगभग एक-दूसरे के समानांतर बढ़े हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संबद्ध आयातों से कीमत कटौती या कीगत पर दबाव आया है।

xii. घरेलू उद्योग के प्रति इकाई निर्यात में बिक्री कीमत, घरेलू बिक्री कीमत से अधिक कमी आई, जो संबद्ध आयातों की वजह से नहीं हो सकता।

xiii. लाभों में गिरावट आयात की प्रवृति से अलग है और आंतरिक रणनीतिक निर्णयों से ज़्यादा जुड़ी हुई है।

xiv. निरंतर निवेश, जो शामिल पूंजी और निर्धारित परिसंपत्तियों में वृद्धि से स्पष्ट है, विकास और विश्वास को दर्शाता है।

xv. सेंचुरी एनका लिमिटेड, गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, एग्लॉन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड, टोडी रेयॉन्स प्राइवेट लिमिटेड और ओरिलोन के वित्तीय विवरण यह दर्शाते हैं कि गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ही अकेला उत्पादक है जिसे क्षति हो रही है।

xvi. घरेलू उत्पादकों ने 75% से अधिक का बाजार अंश बनाए रखा है, जो संभव नहीं होता यदि संबद्ध आयातों से उनकी बिक्रियोंबिक्रियों में कमी नहीं आ रही होती।

xvii. उत्पादकता में सुधार होने के साथ ही कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

xviii. प्रति मीट्रिक टन ब्याज लागत में 9% की कमी आई, जो बेहतर क्षमता दिखाती है।

xix. औसत नियोजित पूंजी, निवल निर्धारित परिसंपत्तियां और स्थापित क्षमता में वृद्धि से तात्पर्य है कि याचिकर्ता रणनीतिक रुप से विस्तार कर रहा है, क्षति का सामना नहीं कर रहा है।

xx. घरेलू उद्योग के लाभ में बड़ी गिरावट होने का कारण केवल चीन से होने वाला आयात नहीं हो सकता। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -II के पैरा (v) के अनुसार, पाटन और क्षति के बीच कोई सीधा संबंध होना चाहिए।

xxi. आयातों के अलावा, क्षति का कारण बनने वाले अन्य कारकों की भी जांच होनी चाहिए। इस बात का उल्लेख यूएस-हॉट-रोल्ड स्टील और यूएस-नॉर्वेजियन सैल्मन एडी में अपील निकाय ने भी किया था।

xxii. पहले इन आयातकों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, घरेलू उद्योग को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो क्षति का कारण बनने वाले अन्य कारकों की ओर संकेत करता है।

xxiii. कोई भी कथित क्षति आंतरिक कमियों, अधिक विस्तार, या लागत से जुड़े कारको की वजह से है और यह इन आयातों की वजह से नहीं है।

xxiv. प्रैद्योगिकी में बदलाव आया है, जिससे प्रति लाइन वाइंडर्स की संख्या बढ़कर 24 यूनिट्स हो गई है, जबकि घरेलू उद्योगों में 12 यूनिटें काम करती हैं। इस वजह से, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत अधिक है।

xxv. कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों और ब्याज लागतों में बढ़ोतरी, वस्तुसूची स्तर में बदलाव के हिसाब से नहीं है और यह पाटित किए गए आयातों के बजाय आंतरिक कमियों और निर्णयों की वजह से वित्तीय बोझ को दिखाता है।

xxvi. घरेलू उद्यागग पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है।

xxvii. आयात या कम गणवत्ता के अस्थिर कच्ची सामग्री पर निर्भरता घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता में रुकावट डालती है।

xxviii. कुशल कामगारों की कमी और अधिक श्रम लागत उत्पादन की गुणवत्ता और सक्षमता पर प्रभाव डालती हैं।

xxix. भौगोलिक पतिकूलता कुल उत्पादन खर्च, बाजार पहुंच और शिपिंग लागत बढ़ा सकते हैं।

xxx. अधिक उधार लेने की लागत या वित्तीय विकल्प की कमी प्रतिस्पर्धा क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

xxxi. समर्थकों सहित शेष सभी घरेलू ऊपादकों के निष्पादन पर ध्यान देना चाहिए।

xxxii. बाजार की मांग में बदलाव, बढती प्रतिस्पर्धा, उतार-चढ़ाव वाली विनिमय दर, ग्राहक की रुचि, बाजार की मंदी, अलग-अलग सरकारी नीतियां और व्यापार करार भी घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

xxxiii. प्राधिकारी को उत्पाद के तकनीकी पहलुओं की जांच करनी चाहिए, जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए सामान की गुणवत्ता, घरेलू उद्योग की वजह से कम प्रचालनात्मक क्षमता, घरेलू धागे का इस्तेमाल होने की वजह से अधिक बर्बादी और उत्पादन डाउनटाइम, ऐसे धागे की बॉबिन की लंबाई अलग-अलग होना, और विशिष्ट या हाई-एंड एप्लीकेशन के साथ इसकी कम अनुकूलता जैसी चिंताएं शामिल हैं।

ज.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

88. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. वर्ष 2022-23 के दौरान कम कीमत वाले आयातों में वृद्धि होने की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। जांच की अवधि में आयातों में कमी आई लेकिन यह काफी अधिक रही और आयातों की कीमत कम रही। इस वजह से, जांच की अवधि में भी क्षति जारी रही।

ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के उलट, समर्थकों द्वारा किए गए आयातों को क्षति की जांच के लिए बाहर रखने का कोई आधार नहीं है। नियमों के तहत पाटित कीमतों पर सभी आयातों की मात्रा और कीमत के प्रभाव की जांच का प्रावधान है, चाहे उस उत्पाद को आयात करने वाले पक्षकारों की प्रकृति कुछ भी हो।

iii. क्षति अवधि के दौरान मांग में बढ़ोतरी की तुलना में संबद्ध आयातों में अधिक वृद्धि हुई है।

iv. संबद्ध आयातों में पूर्ण और सापेक्ष संदर्भ में वृद्धि हुई है। उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है, भले ही क्षति अवधि के दौरान सर्वाधिक भारतीय उत्पादन पर विचार किया जाए।

v. भारतीय उद्योग के पास भारत में पूरी मांग को पूरा करने के लिए काफी क्षमता होने के बावजूद, क्षति अवधि में संबद्ध आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

vi. वर्ष 2021-22 को छोड़कर, क्षति अवधि में मांग में वृद्धि की तुलना में संबद्ध आयातों में वृद्धि अधिक हुई है।

vii. जांच की अवधि में, देश में मांग में कमी और क्षमता में वृद्धि के कारण आयातों में कुछ कमी आई। फिर भी, क्षति अवधि में संबद्ध आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

viii. देश में होने वाले कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा अधिक है।

ix. भारित औसत और पीसीएन के हिसाब से कीमत कटौती सकारात्मक और पर्याप्त है। कीमत कटौती सकारात्मक है, भले ही घरेलू उद्योग ने क्षति में बिक्री की हो।

x. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है और कीमत में वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा होती।

xi. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है।

xii. वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता में कमी आ गई।

xiii. पाटित किए गए आयातों की मात्रा बढ़ने से घरेलू उद्योग के लाभ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे उसे क्षति में बिक्री करनी पड़ी।

xiv. वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग का लाभ बेहतर हुआ क्योंकि बाजार में कीमतें प्रतिस्पर्धी हो गईं। हालांकि, उसके बाद आयातों की कीमतें कम हो गईं और घरेलू उद्योग को घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम कीमतों पर बिक्री करनी पड़ी।

xv. जांच की अवधि में नुकसान में बिक्री करने के बावजूद, घरेलू उद्योग की वस्तुसूची में वृद्धि हुई और यह जांच की अवधि में सबसे अधिक थी।

xvi. नकदी लाभ में काफी गिरावट आई और वह नुकसान में परिवर्तित हो गया। जांच की अवधि में नकदी हानि सबसे अधिक थी।

xvii. घरेलू उद्योग ने अपने निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है और इससे आगे निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

xviii. घरेलू उत्पादकों को निरंतर नुकसान हो रहा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि कई घरेलू उत्पादकों, जैसे, पारस पेट्रोफिल्स, जीएसएफसी, गुप्ता सिंथेटिक्स और जेसीटी लिमिटेड ने अपना परिचालन बंद कर दिया है।

xix. मांग और क्षमता में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उत्पादन, बिक्री, वेतन और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।

xx. घरेलू उद्योग को कीमतों के स्तर पर नुकसान हुआ है क्योंकि उसने ग्राहक आधार, उत्पादन और क्षमता उपयोग को बनाए रखने का विकल्प चुना है। लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट के बहिष्कार में मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार नहीं देखा जा सकता है।

xxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कानून में सूचीबद्ध सभी मापदंडों को भौतिक क्षति को प्रदर्शित करने के लिए गिरावट दिखाने की

आवश्यकता नहीं है। यह पाकिस्तान में डब्ल्यूटीओ पैनल की टिप्पणियों के अनुरूप है - संयुक्त अरब अमीरात से द्विअक्षीय रूप से उन्मुख पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म पर पाटनरोधी उपाय [2018 (363) ई.एल.टी. 566 (ट्रिब्यूनल - दिल्ली)] मौजूदा मामले में घरेलू उद्योग को लाभ में गिरावट के कारण नुकसान हुआ है।

xxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, नियम 11 में निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति की जांच के लिए प्रावधान है। किसी भी मामले में, समर्थको के लिए जानकारी दी गई है जिससे यह पता चलता है कि क्षति अवधि में समर्थको के लाभ में भी उसी प्रवृति का अनुसरण किया गया है।

xxiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, क्षति का तात्पर्य ज़रूरी नहीं कि नुकसान हो और लाभ में गिरावट भी क्षति दर्शाती है।

xxiv. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल, क्षति घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी प्रौद्योगिकी की वजह से नहीं है। वास्तव में, पीएनपी, एग्लॉन और सेंचुरी एनका ने नई क्षमता और मशीनें लगाई हैं और नई प्रौद्योगिकी शामिल की है। दूसरी ओर, चीन में संयंत्र 20-25 वर्ष पुराने माने जाते हैं।

xxv. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से उन दावों का सत्यापन करने का अनुरोध करता है कि विदेशी उत्पादकों के पास प्रत्येक लाइन में 24 वाइंडर हैं।

xxvi. घरेलू उद्योग में मौजूद कारकों जैसे कच्ची सामग्री का स्रोत, उद्योग की अवस्थिति और संयंत्र की मियाद के लिए गैर-आरोपण विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। यह यूरोपीय संघ - बायोडीज़ल (अर्जेंटीना) में अपील निकाय के परिणामों से मेल खाता है।

xxvii. इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि विशिष्ट उत्पाद आयात किया जा रहा है और संबद्ध पक्षकार लेन देन हैं।

xxviii. वियतनाम से होने वाले आयातों को जांच से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि वियतनाम से होने वाले आयातों का हिस्सा 3% से अधिक है और पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

xxix. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने डाउनग्रेडेड सामग्रियों की अपूर्ति की है और साथ ही यह भी कहा है कि वियतनाम से होने वाला आयात डाउनग्रेडेड सामग्री का है। इससे यह पता चलता है कि सभी

आपूर्तिकर्ता सभी बाजारों में अलग-अलग गुणवत्ता के सामान की आपूर्ति करते हैं।

xxx. मेक्सिको से होने वाले आयातों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ऐसे आयात कुल आयातों का केवल 1% हैं और नियम 14 के तहत उनकी जांच की अनुमति नहीं है।

xxxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, नियोजित पूंजी और निर्धारित परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी और ब्याज लागत में कमी नुकसान के लिए मापदंड नहीं हैं।

xxxii. यह दावा कि दूसरे कारकों से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, बेबुनियाद है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे कारकों की पहचान नहीं की है।

xxxiii. घरेलू उद्योग जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, वह पुरानी नहीं है। उद्योग की भौगोलिक, या कच्ची सामग्री की गुणवत्ता और स्रोत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। श्रमिकों के कौशल में भी कोई बदलाव नहीं आया है।

xxxiv. इस दावे के प्रतिकूल कि नुकसान आंतरिक अक्षमता, अति विस्तार, या लागत से जुड़े कारकों की वजह से है, घरेलू उद्योग को लाभप्रदता के मामले में नुकसान हुआ है, मात्रात्मक मापदंडों के मामले में नहीं। पहुंच कीमत में भारी गिरावट की वजह से कीमतों में गिरावट और लाभ के बीच एक स्पष्ट संबंध है।

xxxv. नुकसान अधिक वित्तीय लागत की वजह से नहीं है क्योंकि यह उत्पादन की कुल लागत का केवल 1.5% है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को अपने ब्याज की गणना करने से पहले ही नुकसान हुआ है।

xxxvi. करेंसी में उतार-चढ़ाव घरेलू उद्योग को नुकसान होने का कारण नहीं है क्योंकि इससे आयात अलाभकारी हो जाएगा, न कि घरेलू उत्पाद ।

xxxvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उपभोक्ता की पसंद में कोई बदलाव नहीं देखा है। उपभोक्ता के पास आयात के उत्पाद को पसंद करने का कोई कारण नहीं है, जब तक कि वह पाटित कीमतों पर उपलब्ध न हो।

xxxviii. ऐसी कोई भी खराब सरकारी नीति या करार नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हों। भारत-आशियान करार 2010 से लागू है और यह घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने का कारण नहीं हो सकता।

xxxix. इस बात का दावा करना गलत है कि घरेलू उत्पाद का समर्थन करने के उद्देश्य से की गई कोशिशें, जैसे कि व्यापार करार, घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाएंगे।

ज.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

89. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया विश्लेषण सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अलग-अलग तर्कों को बताता है।

90. हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर बल दिया है कि घरेलू उद्योग के कतिपय मापदंडों में सुधार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। घरेलू उद्योग ने यह उत्तर दिया है कि केवल कतिपय मापदंडों में सुधार का अर्थ यह नहीं है कि क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसे सभी मापदंडों का समग्र मूल्यांकन करना होगा, और अपने निष्कर्षों पर पहुंचना होगा। यदि समग्र मूल्यांकन के आधार पर, उसे पता चलता है कि आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, तो कुछ मापदंडों में सुधार ऐसे निष्कर्षों को नकार नहीं देगा। दूसरी ओर, यदि सभी मापदंडों की जांच से पता चलता है कि क्षति नहीं हुई है, तो कुछ मापदंडों में गिरावट को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

91. इस बात के संबंध में कि नियोजित पूंजी और निर्धारित पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है, जो घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में भरोसा होने को दर्शाता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे संकेतक यह तय नहीं करते कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या नहीं। अत: केवल नियाजित पूंजी में वृद्धि का यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण क्षति नहीं हुई है।

92. इस बात के संबंध में कि उत्पादकों का प्रदर्शन उनके वित्तीय विवरण में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से मेल नहीं खाता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन के संबंध में आवेदकों की सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया है। उत्पादकों के वित्तीय विवरण का संदर्भ शायद सही न हो, क्योंकि इसमें दूसरे बाजारों और अन्य उत्पादकों में प्रदर्शकों के बारे में भी जानकारी शामिल होगी।

93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि समर्थकों सहित सभी अन्य घरेलू उत्पादकों के प्रदर्शकों पर विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसे तय घरेलू उद्योग के लिए खति विश्लेषण करना ज़रूरी है। यह ईसी – बेड लिनन में डब्ल्यूटीओ पैनल के निष्कर्ष के अनुसार भी है।

6.182 तथापि, भारत के दावे के दूसरे पहलू के संबंध में हमारा निष्कर्ष अलग है। जैसा कि हमने नोट किया है, क्षति का निर्धारण घरेलू उद्योग के लिए किया जाना है, जैसा कि जांच प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, इस मामले में 35 उत्पादक हैं, जिसमें यूरोपीय समुदायों द्वारा निर्दिष्ट "सामुदायिक उद्योग" शामिल है। हमारे दृष्टिकोण से, घरेलू उद्योग के अंदर न आने वाली कंपनियों के संबंध में सूचना अनुच्छेद 3.4 के तहत आवश्यक "उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले ज़रूरी आर्थिक कारकों और संकेतकों" के मूल्यांकन के लिए असंगत है। यह तब भी सत्य है, जब वे कंपनियां अभी वैसा ही उत्पाद, बेड लिनन बना रही हों, या पहले बना चुकी हों। घरेलू उद्योग से बाहर की कंपनियों के लिए अनुच्छेद 3.4 के कारकों के संबंध में सूचना, पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव के संबंध में निष्कर्षों का कोई आधार नहीं देती है। यदि अन्य मौजूदा या पहले के बेड लिनन उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाता, तो यह बात कि उनमें से कुछ का कारोबार बंद हो गया, घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए ज़रूरी होती। लेकिन यह देखते हुए कि यूरोपीय समुदायों ने घरेलू उद्योग को परिभाषित किया है। बेड लिनन के 35 उ उत्पादक होने के नाते, दूसरी कंपनियों से जुड़ी सूचना एडी एग्रीमेंट के अनुच्छेद 3.4 के तहत "उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों और संकेतकों" के मूल्यांकन के संबंध में जानकारी नहीं देती है, और इसलिए यह घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निष्कर्षों का आधार नहीं बन सकती है।

94. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी नहीं दर्शाया है कि प्राधिकारी को उन उत्पादकों के वित्तीय निष्पादन की जांच करने की ज़रूरत है जो घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए, यह पाते हुए कि आवेदक और पीएनपी पॉलिमर्स घरेलू उद्योग में शामिल हैं,

प्राधिकारी ने केवल इस तरह से बताए गए घरेलू उद्योग के लिए ही क्षति का विश्लेषण किया है।

ज.3.1. <u>क्षति का संचित आकलन</u>

95. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात की एक साथ पाटनरोधी जांच हो रही है, तो प्राधिकारी ऐसे आयात के प्रभाव का संचित आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि:

    क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के तौर पर दो प्रतिशत से अधिक है और हर देश से आयात की मात्रा उसी तरह की वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या उससे ज़्यादा) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, तो आयात मिलकर उसी तरह की वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है, और

    ख. आयात किए गए उत्पदों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयात किए गए उत्पादों तथा वैसे ही घरेलू सामानों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयात के प्रभाव का संचित आकलन उपयुक्त है।

96. इस मामले में, हर संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए उत्पादों में आपस में मिलती-जुलती विशिष्टताएं हैं और उनका उपयोग समान आवेदनों के लिए और ग्राहकों के एक ही सेगमेंट द्वारा किया जा रहा है। इस तरह, संबद्ध आयात भारतीय बाज़ार में आपस में और साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित की गई संबद्ध वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

97. अत:, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि नीचे दिए गए कारणों से मौजूदा जांच में क्षति का संचित आकलन करना उपयुक्त होगा।

    क. संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से भारत में पाटित की जा रही हैं।

    ख. हर संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमों के तहत तय की गई न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ग. हर संबद्ध देश से आयातों की मात्रा, कुल आयात की मात्रा के 3% से अधिक है।

घ. आयातों के प्रभाव का संचित आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न सिर्फ़ हर संबद्ध देश से आयातों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाज़ार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करता है।

98. इस चिंता के संबंध में कि वियतनाम से होने वाले आयातों को जांच से बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वियतनाम से होने वाला आयात भारत में होने वाले कुल आयातों का 3% से अधिक है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि वियतनाम से आयातों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वियतनाम से आयातों की कीमत चीन जन. गण. से होने वाले आयातों की कीमत से बहुत कम है। इसे देखते हुए, वियतनाम को मौजूदा जांच से बाहर रखना सही नहीं है।

ज.3.2. <u>पाटित किए गए आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

i. मांग का आकलन (स्पष्ट खपत)

99. प्राधिकारी ने, इस जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के तौर पर निर्दिष्ट किया है। इस तरह से आकलित की गई मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी टन	40,638	58,162	64,831	68,314
आबद्ध खपत	मी टन	30	शून्य	शून्य	शून्य

समर्थक उत्पादकों की बिक्रियां	मी टन	22,739	30,138	35,413	37,759
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	मी टन	30,869	46,035	44,465	37,559
संबद्ध आयात	मी टन	18,170	24,179	38,180	31,823
चीन	मी टन	16,946	23,341	36,879	30,547
वियतनाम	मी टन	1,224	839	1,301	1,276
अन्य उत्पादक	मी टन	5,542	5,101	4,006	4,736
कैप्टिव को छोड़कर कुल मांग/ खपत	मी टन	1,17,957	1,63,615	1,86,894	1,80,191
कैप्टिव को शामिल कर कुल मांग/ खपत	मी टन	1,17,988	1,63,615	1,86,894	1,80,191

** आयात डीजी सिस्टम्स के डेटा के अनुसार, शेष आंकड़े घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार*

100. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वर्ष 2022-23 तक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में कुछ कम हुई है। यह मांग आधार वर्ष की मांग से अधिक रही है।

ii. पूर्ण और सापेक्ष संदर्भ में आयात

101. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, यह विचार किया जाना ज़रूरी है कि क्या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में पूर्ण संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान आयातों की मात्रा इस प्रकार से थी:

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि (क)**
संबद्ध आयात	मी टन	18,170	24,179	38,180	31,823

चीन	मी टन	16,946	23,341	36,879	30,547
वियतनाम	मी टन	1,224	839	1,301	1,276
अन्य आयात	मी टन	5,542	5,101	4,006	4,736
कुल आयात	मी टन	23,711	29,280	42,185	36,559
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
घरेलू उत्पादन	%	43%	41%	56%	45%
खपत (आबद्ध सहित)	%	15%	15%	20%	18%
कुल आयात	%	77%	83%	91%	87%

102 प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में संबद्ध आयातों में ***% की वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान, जबकि संबद्ध आयातों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई, यह अभी भी आधार वर्ष की तुलना में ***% अधिक रहा।

ii. खपत और उत्पादन दोनों के संबंध में संबद्ध आयातों में वर्ष 2022-23 में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में कुछ कम हुई है।

iii. कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा क्षति अवधि में आधार वर्ष में ***% से बढ़कर जांच की अवधि में ***% हो गया है।

iv. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि जांच की अवधि में आयातों में गिरावट मांग में कमी और घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि होने के परिणामस्वरुप थी।

103. हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि समर्थकों से होने वाले आयातों को क्षति जांच से बाहर रखा जाना चाहिए। हालांकि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -II के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों के तहत, प्राधिकारी को पाटित किए गए आयातों के संबंध में क्षति जांच करना ज़रूरी है। ऐसे आयातों में समर्थकों या आवेदकों द्वारा किए गए आयात भी शामिल होंगे।

ज.3.3. <u>कीमत संबंधी प्रभाव</u>

104. संबद्ध देशों से आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या कथित आयात से भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में कोई महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करना या कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है, जो सामान्यत तौर पर होती। संबद्ध देशों से आयातों के चलते घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत दबाव, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

i. कीमत कटौती

105. कीमत कटौती के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। तालिका नीचे दी गई है:

विवरण	**इकाई**	**संबद्ध देश**
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/ मी टन	***
पहुंच कीमत	₹/ मी टन	1,94,680
कीमत कटौती	₹/ मी टन	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	रेंज	5-15%

** पहुंच कीमत डीजी सिस्टम्स के डेटा के अनुसार, निवल बिक्री प्राप्ति घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार*

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की निबल बिक्रियों की प्राप्ति से कम है। सभी संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ii. कीमत ह्रास/ दबाव

107. यह पता लगाने के लिए कि क्या पाटित किए गए आयातों से घरेलू कीमतों में काफी हद तक कमी हो रही हैं या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमत को काफी हद तक कम

करना है या कीमत में बढ़ोतरी को रोकना है जो सामान्य तौर पर होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति में हुए परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
बिक्री की लागत	₹/ मी टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	123	112
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/ मी टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	122	109
पहुंच कीमत	₹/ मी टन	1,63,702	2,32,761	2,16,204	1,94,680
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	132	119

** पहुंच कीमत डीजी सिस्टम्स के डेटा के अनुसार, निवल बिक्री प्राप्ति और बिक्री लागत घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार*

108. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और पहुंच कीमत में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021-22 में, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई, जो लागत में बढ़ोतरी से अधिक थी। तथापि, वर्ष 2022-23 के दौरान, जबकि बिक्रियों की लागत लगभग वैसी ही रही, बिक्री कीमत और पहुंच कीमत में गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान, जबकि बिक्रियों की लागत में गिरावट आई, निबल बिक्री प्राप्ति में अत्यधिक गिरावट देखने में आई। क्षति अवधि में, जबकि बिक्रियों की लागत में 12% की बढ़ोतरी हुई है, निवल बिक्री प्राप्ति में केवल 9% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है और कीमतों का ह्रास कर दिया है।

ज.3.4. <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>

109. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के अनुसार, क्षति का पता लगाने में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होनी चाहिए। इन आयातों के घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में, नियमावली में सह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी ज़रूरी आर्थिक कारकों और संकेतकों का बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्रियां, लाभ, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, नकदी प्रवाह, वस्तुसूची, रोज़गार, वेतन, वृद्धि, पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। अतः, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच की गई है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

110. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता के उपयोग के मामले में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन इस प्रकार था:

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि (क)**
स्थापित क्षमता	मी टन	94,152	94,152	1,08,652	1,12,624
उत्पादन	मी टन	41,782	59,573	68,171	70,101
क्षमता का उपयोग	%	44%	63%	63%	62%
घरेलू बिक्री	मी टन	40,638	58,162	64,831	68,314
निर्यात बिक्री	मी टन	307	1,613	380	420
कैप्टिव खपत	मी टन	30	शून्य	शून्य	शून्य

** घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार आंकड़े*

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है।

ii. क्षमता में वृद्धि होने के साथ, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि केवल लाभप्रदता से समझौता करने के कारण से वृद्धि हुई है। क्योंकि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम थी, इसलिए घरेलू उद्योग ने अपने मात्रात्मक मापदंडों को बनाए रखने के लिए अपनी कीमतें कम कर दीं।

iii. वर्ष 2021-22 में क्षमता उपयोग में सुधार हुआ, लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें थोड़ी गिरावट आई है।

112. इस दावे के संबंध में कि क्षमता में वृद्धि की वजह से क्षमता उपयोग कम है, प्राधिकारी यह नोट करते है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में 20% वृद्धि हुई है, जबकि मांग में 53% वृद्धि हुई है। इसके अलावा, भारतीय उद्योग की क्षमता देश में मांग के बराबर है। ऐसे में देश में बढ़ती मांग को देखते हुए क्षमता में बढ़ोतरी को अधिक नहीं माना जा सकता।

ii. मांग में बाजार अंश

113. इस अवधि के दौरान संबद्ध आयातों, घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों का बाजार अंश इस प्रकार था।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
घरेलू उद्योग	%	34%	36%	35%	38%
अन्य उत्पादक	%	45%	47%	43%	42%
संबद्ध आयात	%	15%	15%	20%	18%
अन्य आयात	%	5%	3%	2%	3%

114. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि 2022-23 से जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों के बाजार अंश में कुछ कमी आई है, जबकि घरेलू उद्योग और समग्र भारतीय उद्योग के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

115. हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात का उल्लेख किया है कि मांग में वृद्धि होने पर आयातों में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग को हटाया नहीं गया था। घरेलू उद्योग ने इस बात पर बल दिया है कि अपना उत्पादन और बिक्री बनाए रखने के लिए, उसने लाभ से समझौता किया है। क्षति अवधि के दौरान, संबद्ध आयात और घरेलू उद्योग दोनों ने अपने बाजार अंश में वृद्धि की है।

iii. माल सूचियां

116. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वस्तुसूचियां इस प्रकार थी:

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि (क)**
प्रारंभिक वस्तुसूची	मी टन	4,387	4,629	3,601	5,663
अंतिम वस्तुसूची	मी टन	4,629	3,601	5,663	6,475
औसत वस्तुसूची	मी टन	4,508	4,115	4,632	6,069

** घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार वस्तुसूचियां*

117. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वस्तु सूचियों में क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में यह सबसे अधिक थी।

iv. रोज़गार, उत्पादकता और मज़दूरी

118. प्राधिकारी ने रोज़गार, मज़दूरी और उत्पदकता से जुड़ी सूचना की जांच की है, जो नीचे दी गई है:

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि (क)**
कर्मचारियों की संख्या	सं.	1,805	1,963	2,083	2,611
उत्पादकता प्रति दिन	मी टन/ दिन	116	165	189	195
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी टन/ सं.	23	30	33	27
वेतन और मज़दूरी	₹ लाख	3,648	4,347	4,662	4,616

** घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार आंकड़े*

119. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या और वेतन में बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन में वृद्धि होने पर घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने इस वजह से कोई भी क्षति होने का दावा नहीं किया है।

v. लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

120. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, ननकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
बिक्रियों की लागत	₹/ **मी टन**	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	122	123	112
बिक्री कीमत	₹/ मी टन	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	128	122	109
लाभ / (हानि)	₹/ मी टन	(***)	***	(***)	(***)

प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	77	-159	-188
लाभ / (हानि)	₹/ मी टन	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	110	-254	-315
नकदी लाभ	₹/ मी टन	***	***	(***)	(***)
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	239	-30	-72
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	463	-451	-485

* *आंकड़े घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार हैं*

121. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. घरेलू उद्योग को वर्ष 2021-22 को छोड़कर, पूरी क्षति अवधि के दौरान हानि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वर्ष 2021-22 में बाजार की कीमतें प्रतिस्पर्धी हो गईं, जिससे उसे लाभ हुआ। वर्ष 2021-22 के बाद, घरेलू उद्योग का लाभ बहुत कम हो गया और घरेलू उद्योग को हानि हुई। जांच की अवधि के दौरान हानि सबसे अधिक थी।

ii. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021-22 तक नकदी लाभ अर्जित किया। हालांकि, आयात की कीमतों में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23 में नकदी हानि हुई, और जांच की अवधि के दौरान हानि और बढ़ गई।

iii. घरेलू उद्योग ने वर्तमान में लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

122. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाया है कि वर्तमान में ब्याज लागत कम हुई है। तथापि, कमतर ब्याज लागत का मतलब पाटित किए गए आयातों के प्रतिकूल प्रभाव की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी से नहीं निकाला जा सकता।

vi. **वृद्धि**

123. मात्रा और लाभप्रदता मापदंड के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि इस प्रकार है।

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
स्थापित क्षमता	%	-	0%	15%	4%
उत्पादन	%	-	43%	14%	3%
घरेलू बिक्रियां	%	-	43%	11%	5%
लाभ / (हानि) प्रति इकाई	%	-	177%	-308%	-18%
नकदी लाभ प्रति इकाई	%	-	67%	-111%	-128%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-	563%	-197%	-7%

124. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाई गई है। तथापि, घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दिखाई गई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि मात्रात्मक मापदंडों में केवल इसलिए वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता से समझौता किया है।

vii. **पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता**

125. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में काफी क्षति और नकदी हानि हुई है। इस प्रकार, आयातों से घरेलू उद्योग की पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

viii. पाटन मार्जिन की मात्रा

126. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ix. कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक

127. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत से भी कम है। इतनी कम पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाला है। इसके अलावा, आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमतों से कम हैं। इससे घरेलू उद्योग के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है।

ज.3.5. क्षति के संबंध में निष्कर्ष

128. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि:

i. भारत में उत्पादन और खपत के साथ-साथ पूर्ण संदर्भ में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में आयात पिछले वर्ष के मुकाबले कम हुए हैं लेकिन आधार वर्ष से अधिक बने हुए हैं।

ii. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है।

iii. आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है, और कीमतों में वृद्धि होने से रोका है, जो अन्यथा होती।

iv. संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

v. मांग में वर्ष 2022-23 तक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में कमी आई है। समग्र भारतीय उद्योग के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

vi. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि हुई है।

vii. घरेलू उद्योग की वस्तुसूची में वृद्धि हुई है और यह जांच की अवधि में सबसे अधिक थी।

viii. घरेलू उद्योग को वर्ष 2021-22 को छोड़कर, क्षति अवधि में हानि हुई है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानि हुई है।

ix. क्षति अवधि में नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल में काफी गिरावट आई है, और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का लाभ सबसे कम था।

x. आयातों ने घरेलू उद्योग की पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xi. संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

झ. क्षति मार्जिन

129. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध के साथ पठित नियमावली में निर्दिष्ट किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से जुड़ी सत्यापित जानकारी/ डेटा को अपनाकर संबद्ध वस्तुओं की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत तय करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, यूटिलिटीज और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती खर्च नहीं लगाया गया है। नियमावली के अनुबंध III में बताए गए अनुसार, क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए, विचाराधीन उत्पाद के लिए उपयोग की गई औसत पूंजी(र्थात, औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उपयुक्त प्रतिफल (प्री-टैक्स @ 22%) को प्री-टैक्स लाभ के तौर पर अनुमति दी गई थी और इसका पालन किया जा रहा है।

130. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत, निर्यातकों द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर तय की गई है। गैर सैंपलकृत सहयोगी निर्यातकों के लिए, पहुंच मूल्य को सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के भारित औसत पहुंच मूल्य के तौर पर लिया गया है।

131. संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने मौजूदा तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत तय की है।

132. उपरोक्त के अनुसार पहुंच कीमत और क्षतिहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी ने उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन तय किया है और यह नीचे दी गई तालिका में दिया गया है: -

क्षति मार्जिन

क्र. सं.	**उत्पादक का नाम**	**क्षतिरहित कीमत**	**पहुंच कीमत**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**
		(यूएस डॉलर/ मी टन)	(यूएस डॉलर/ मी टन)	(यूएस डॉलर/ मी टन)	(%)	(रेंज)
क	**चीन जन. गण.**					
1.	फ़ुज़ियान हाईसन सिंथेटिक फ़ाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
2.	फ़ुज़ियान लिहेंग पॉलियामाइड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35
3.	फ़ुज़ियान समूह (भारित औसत)	***	***	***	***	5-15
4.	यिवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35
5.	गैर नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक	***	***	***	***	10-20
6.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	35-45
ख	**वियतनाम**					
1.	ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
2.	ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35

3.	ह्योसंग समूह (भारित औसत)	***	***	***	***	30-40
4.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50

ञ. कारणात्मक संबंध

ञ.1.1. गैर- आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

133. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित किए गए आयातों की क्षति, मात्रा और कीमत के प्रभाव की मौजूदगी की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति नियमों के तहत सूचीबद्ध किए गए पाटित आयातों के अलावा किसी और वजह से हो सकती है:

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

134. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों के अलावा, ताइवान से काफी मात्रा में आयात किया गया है। हालांकि, ताइवान से आयातों की कीमत संबद्ध देशों से आयातों की कीमत से बहुत अधिक है। इसके अलावा, ऐसे आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से अधिक है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति ताइवान से आयातों के कारण नहीं हो सकती। अन्य देशों से आयातों की मात्रा अधिक नहीं है और इसलिए, क्षति ऐसे आयातों के कारण नहीं है।

135. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि मेक्सिको को संबद्ध देश के तौर पर चुनकर छोड़ दिया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मेक्सिको से आयात कुल आयातों का केवल 0.69% है। इसलिए, यह क्षति मेक्सिको से आयातों के कारण से नहीं है, और मेक्सिको से आयातों के खिलाफ़ पाटनरोधी जांच नहीं की जा सकती।

ख. मांग में कमी

136. क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन यह जांच की अवधि में कुछ कम हुई है। इस कमी के बावजूद, जांच की अवधि में मांग आधार वर्ष मांग से अधिक थी। इसलिए, यह क्षति मांग में कमी की वजह से नहीं है।

ग. खपत की पद्धति

137. अनय हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि ग्राहक अधिमानता ने घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर प्रभाव डाला है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे दावों को सबूतों से साबित नहीं किया गया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड में मौजूद सूचना ग्राहक अधिमानता में बदलाव का संकेत नहीं देती है क्योंकि ग्राहकों ने घरेलू उद्योग से खरीदना जारी रखा है और साथ ही विचाराधीन उत्पाद का आयात भी किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी आरोप लगाया है कि बाजार में कमी की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। हालांकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में सुधार हुआ है। इस तरह, जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उसके उपयोग की पद्धति में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती था।

घ. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

138. ऐसी कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया या प्रतिस्पर्धा की शर्तें नहीं हैं, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ड़. प्रौद्योगिकी में विकास

139. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और हर लाइन में केवल 12 वाइंडर हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि निर्यातक 24 वाइंडर का उपयोग करते हैं, इस दावे को सत्यापित किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि विदेशी निर्माता हर लाइन में 24 वाइंडर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने प्रौद्योगिकी या संयत्र में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया है जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

140. इस संबंध में, यह भी नोट किया जाता है कि विदेशी उत्पादक द्वारा दी गई जानकारी से संबद्ध देशों से काफी पाटन दिखाई देता है।

च. उत्पादकता

141. क्षति के दौरान घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन और प्रति दिन और प्रति कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ी है। इसलिए, उत्पादकता में कमी के कारण क्षति नहीं हो सकती।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

142. उपरोक्तानुसार जांच की गई क्षति की सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से जुड़ी है। इसलिए, हुए नुकसान को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

143. जहां तक इस बात का संबंध है कि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत उसकी घरेलू कीमत से अधिक गिरी है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत उसकी घरेलू बिक्री कीमत से अधिक रही है। इसके अलावा, घरेलू उोग की निर्यात बिक्रियां, घरेलू उद्योग की कुल बिक्रियों के मुकाबले न के बराबर हैं। ऐसे में, घरेलू उद्योग को उसके निर्यात प्रदर्शन की वजह से नुकसान हुआ नहीं माना जा सकता।

ज. अन्य उत्पादकों का निष्पादन

144. डुई क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल उसी तरह की वस्तुओं के बारे में जानकारी अलग करके दी है।

झ. करेंसी में उतार-चढ़ाव

145. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को करेंसी में उतार-चढ़ाव की वजह से काफी क्षति हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस तरह के दावे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सबूत नहीं दिया है।

ञ. घरेलू उद्योग की भौगोलिक अवस्थिति और कुशल श्रम

146. जहां तक इस दावे का संबंध है कि घरेलू उद्योग को कुशल श्रम शक्ति की कमी और खराब भौगोलिक अवस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की भौगोलिक अवस्थिति में क्षति की अवधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए, जांच की अवधि में हुई क्षति को भौगोलिक अवस्थिति के कारण नहीं

माना जा सकता। यदि घरेलू उद्योग को इस वजह से क्षति हुई होती, तो उसे समूची अवधि के दौरान क्षति होती।

147. इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पाद में वृद्धि के संदर्भ में वृद्धि हुई है। इसलिए, क्षति इन कारणों से नहीं हो सकती।

ट. घरेलू उद्योग द्वारा अति विस्तार

148. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को उसके अति विस्तार की वजह से क्षति हुई है। हालांकि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बाजार में घरेलू उद्योग की क्षमता से अधिक मांग है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षमता विस्तार को "अतिविस्तार" नहीं कहा जा सकता।

ठ. ब्याज लागत और कार्यशील पूंजी में वृद्धि

149. हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि ब्याज लागत और कार्यशील पूंजी में, वस्तुसची के मुकाबले बहुत अधिक वृद्धि हो गई हैं, जो क्षति का कारण हो सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, घरेलू उद्योग को मौजूदा ब्याज दायित्व की गणना करने से पहले ही क्षति हुई है। इसलिए घरेलू उद्योग को अधिक ब्याज लागत की वजह से क्षति नहीं हुई है। जहां तक कार्यशील पूंजी का संबंध है, इसे सीधे वस्तुसूची स्तर से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इसमें कई अन्य मौजूदा परिसंपतितयां और मौजूदा देयताएं शामिल हैं।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता

150. हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को उसके द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की खराब गुणवत्ता और असमान यार्न लेंथ की वजह से क्षति हुई है। इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिखाया है जिससे पता चले कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता आयातित उत्पाद के समान नहीं है। घरेलू उद्योग ने अपने मात्रात्मक मापदंडों में सुधार किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दिखाया है कि उसने लगातार यार्न लेंथ की आपूर्ति की है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को खराब गुणवत्ता की वजह से क्षति हुई है।

151. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा बनाया गया धागा हाई-एंड एप्लीकेशन के लिए सही नहीं है। हालांकि, ऐसे हाई-एंड एप्लीकेशन की पहचान नहीं की गई है, और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग का उत्पाद ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है।

ढ़. प्रक्रिया संबंधी मापदंडों के कारण क्षति

152. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि उत्पाद के तकनीकी पहलुओं जैसे वेस्टेज, उत्पादन डाउनटाइम की जांच होनी चाहिए। प्राधिकारी ने मामले की जांच की है और यह नोट किया है कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि क्षति अवधि के दौरान कोई असामान्य डाउनटाइम या वेस्टेज हुआ हो, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। किसी भी मामले में, प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत तय करने और क्षति मार्जिन तय करने के लिए उस समय के दौरान कच्ची सामगी, यूटिलिटीज और क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया है। इसलिए, यदि कोई ज़्यादा वेस्टेज या उत्पादन डाउनटाइम हुआ, तो क्षतिरहित कीमत की गणना में उसके प्रभाव को नज़रअंदाज़ किया गया।

ण. अन्य कारक

153. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि कम गुणवत्ता कच्ची सामग्री का उपयोग, वित्तपोषण विकल्प की कमी, अलग-अलग सरकारी नीति और व्यापार करार ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव डाला है। प्राधिकारी ने मामले की जांच की है, और नोट किया है कि जांच के दौरान उसे कम गुणवत्ता कच्ची सामग्री के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दिखाया है कि घरेलू उद्योग कम गुणवत्ता का कच्चा माल इस्तेमाल करती है, या इस्तेमाल किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता में समय के साथ बदलाव आया है। इसी तरह, यह भी नहीं दिखाया गया है कि घरेलू उद्यो को वित्तपोषण विकल्प की कमी का सामना करना पड़ा है। व्यापार करार के मामले में, हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दिखाया है कि ऐसे कारकों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

ट. घरेलू उद्योग का हित और अन्य मामले

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

154. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. ओरिलॉन इंडिया की निर्माण सुविधा में आग लगने से उत्पाद की घरेलू सप्लाई में रुकावट आई है, जिससे मांग और आपूर्ति में काफी अंतर पैदा हो गया है। इससे आयातों पर निर्भरता बढ़ी है, कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है और प्रयोक्ता उद्योग को दिक्कत हुई है।

ii. घरेलू उद्योग व्यापार सुधार के उपायों का नियमित रुप से उपयोगकर्ता है। अलग-अलग स्रोतों से आयातों पर 17 वर्ष तक पाटनरोधी शुल्क लागू था। यदि शुल्क फिर से लगाया जाता है, तो इसका यह अर्थ होगा कि शुल्क स्थायी हैं।

iii. विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 5% का सीमा शुल्क लागू है।

iv. संबद्ध वस्तुएं देश के उभरते हुए वस्त्र निर्माण क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाना लोक हित के खिलाफ होगा, क्योंकि इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त कीमतों पर आयात को जारी रखना आवश्यक है।

v. डाउनस्ट्रीम क्षेत्र अधिकतर एमएसएमई हैं, जो कम मार्जिन पर काम करते हैं। शुल्क लगाए जाने से ऐसे प्रयोक्ताओ की लागत बढ़ जाएगी, जिससे उनके लाभ, बाजार प्रतिस्पर्धी और निर्यात संभावना पर प्रभाव पड़ेगा।

vi. एनएफवाई का घरेलू उत्पादक, मात्रा, किस्म और समय पर आपूर्ति के संदर्भ में डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। आवश्यक आयात पर रोक लगाने से आपूर्ति में कमी और देरी होगी।

vii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू एनएफवाई बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, जो पहले से ही कुछ उत्पादकों के बीच ही है। इससे कीमतें बढ़ेंगी या नवोंमेष करने या अक्षमताओं को सुधारने का प्रोत्साहन कम होगा।

viii. कई डाउनस्ट्रीम उद्योग रोज़गार और निर्यात में काफी योगदान देती हैं, कच्चे माल की ज़्यादा लागत से नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी और देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी।

ix. एनएफवाई उद्योग पहले से ही बढ़ रहा है, और इसलिए, डाउनस्ट्रीम उद्योग की कीमत पर इसे बचाने की ज़रूरत नहीं है।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

155. घरेलू उद्योग द्वारा भारतीय उद्योग के हित के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. लोक हित का निर्णय निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए: (क) समान वस्तुओं के घरेलू उत्पादक, (ख) उत्पाद के घरेलू उपभोक्ता, (ग) उत्पादन करने वाले और उपभोक्ता दोनों उद्योगों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योग, और (घ) आम जन।

ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, ओरिलोन और सेंचुरी के संयंत्र में आग लगना जांच की अवधि के बाद की घटनाएं हैं और इसकी वजह से हुई रुकावट अस्थायी थी। दोनों कंपनियों ने सामान्य उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है।

iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों का भारत के बाजार में पाटन करने का स्वभाव रहा है, जिसकी वजह से उत्पाद पर कई बार पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। जिस समय तक शुल्क लागू रहा है, वह यह तय करने के लिए कोई ज़रूरी बात नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क फिर से लगाने की ज़रूरत है या नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें पाटनरोधी शुल्क अधिकतर 20 वर्षों से अधिक समय से लागू है।

iv. जहां विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 5% का सीमाशुल्क लागू है, वहीं डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर 20% की सीमाशुल्क है।

v. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की लागत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

vi. विचाराधीन उत्पाद पर पहले भी पाटनरोधी शुल्क लगता था, हालांकि, इस दौरान भारतीय वस्त्र उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। भारत में बढ़ती आबादी और उपभोक्तावाद के कारण वस्त्र उद्योग का विकास धीमा होने की संभावना नहीं है।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, घरेलू उद्योग की कीमत पर पाटित की गई कीमतों पर उत्पाद तक पहुंच की मांग उचित नहीं है। एक

आत्मनिर्भर सप्लाई चेन के लिए यह ज़रूरी है कि हर स्तर पर उचित प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयातों पर रोक नहीं लगती, बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि आयात उचित कीमतों पर किया जाए। इसके अलावा, जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उसे असबद्ध देशों से भी आयात किया जा सकता है।

ix. पाटनरोधी शुल्क लगाने से बाजार पर एकाधिकार नहीं होगा, क्योंकि बाजार में कई उत्पादक होते हैं और पाटनरोधी लगाए जाने से देश में आयातों पर रोक नहीं लगती।

x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पाटनरोधी शुल्क लगाने से नौकरियों पर प्रतिकूल प्रभाव को दिखाने का कोई सबूत नहीं दिया है।

xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, घरेलू उद्योग, डाउनस्ट्रीम उद्योग की तुलना में भारत से निर्यात में बहुत बड़ा भागीदार है। किसी भी हालत में, डाउनस्ट्रीम उद्योग पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना अग्रिम अधिकरण के तहत आयात कर सकता है।

xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, भारत में पाटन की वजह से भारतीय उद्योग स्वयं को बनाए नहीं रख पा रहा है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि कई उत्पादकों ने भारत में काम करना बंद कर दिया है।

xiii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विदेशी मुद्रा के भुगतान में बचत होगी।

ट.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

156. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य पाटन के गलत व्यापार तरीकों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुले और समान प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा। पाटनरोधी उपाय लागू करने का प्रयोजन संबद्ध देशों से मनमाने ढंग से आयात को कम करना नहीं है। बल्कि, यह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का एक तरीका है।

157. प्राधिकारी यह मानते हैं कि निरंतर पाटनरोधी शुल्क भारत में कीमतों पर प्रभाव डाल सकता है। हालांकि, ये शुल्क भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को नुकसान नहीं

पहुंचाती हैं। इसके बजाय, ये कंपनियों को पाटन की गई कीमतों पर सामान बेचकर गलत लाभ उठाने से रोकता हैं। पाटनरोधी उपाय उचित व्यापार संरक्षण प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं को इन उत्पदों की एक बड़ी रेंज मिलती रहे।

158. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग को समान अवसर मिलेगा जिससे प्रयोक्ता उद्योग भारतीय उद्योग से खरीदने के लिए प्रोत्साहित होगा। इससे आयातो पर निर्भता कम होगी और बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

159. जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना लोक हित के खिलाफ होगा क्योंकि जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उसका उपयोग उभरते हुए वस्त निर्माण क्षेत्र में होता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उस पर 2017 तक पाटनरोधी शुल्क लगता था। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि ऐसा शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

160. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात पर रोक नहीं लगती, बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि आयात उचित कीमतों पर किए जाएं और भारतीय के लिए समान अवसर मिले। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क एक सुधार का तरीका है जो भारत में आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने पर बल देता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से देश में आपूर्ति की कमी नहीं होती है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयात संबद्ध देशों के अलावा अन्य स्रोतों से भी किया जा सकता है। पहले असंबद्ध देशों से निम्नलिखित आयात हुए थे:

निर्यातक देश	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि (क)**
ताइवान	मी टन	1,234	1,253	1,379	1,287
इंडोनेशिया	मी टन	496	343	206	308

थाईलैंड	मी टन	1,433	944	817	501
संयुक्त राज्य अमरीका	मी टन	185	189	132	539
जापान	मी टन	105	207	183	299
कोरिया	मी टन	616	748	226	282
इटली	मी टन	162	166	156	230

161. जहां तक इस बात का संबंध है कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार का उपयोग करता रहता है और उत्पाद पर पहले भी पाटनरोधी शुल्क लग चुका है। यह नोट किया जाता है कि उत्पाद पर पहले भी पाटनरोधी शुल्क लग चुका है, यह बात इस जांच के लिए संगत नहीं है।

162. जहां तक इस बात का संबंध है कि दो आवेदकों के संयंत्रों में आग लगने से देश में मांग आपूर्ति में अंतर आ गया और प्रयोक्ता आयात पर निर्भर हो गए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के बाद ओरिलॉन और सेंचुरी की फैक्ट्रियों में आग लगने से उत्पादन कुछ समय के लिए रुक गया था। घरेलू उद्योग ने यह दिखाने के लिए सबूत दिए हैं कि उत्पादन पर रोक बहुत कम समय के लिए थी, और दोनों संयंत्रों में सामान्य उत्पादन फिर से शुरू हो गया है। इसलिए, इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव कुछ समय के लिए था और उसे पहले ही समाप्त कर दिया गया है।

163. जहां तक इस बात का संबंध है कि जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उसके आयातों पर 5% का सीमाशुल्क लगता है और घरेलू उद्योग पूरी तरह से सुरक्षित है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीमा शुल्क शामिल करने के बाद भी, उत्पाद की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, बिक्रियों की लागत और क्षतिरहित कीमत से बहुत कम है।

164. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग एमएसएमई प्रकार का है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ेगा, जो कि मामूली लाभ पर काम करता है। मामले की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी के समक्ष कोई ऐसी जानकारी रिकॉर्ड में नहीं रखी गई जिससे यह पता चले कि डाउनस्ट्रीम उद्योग लागत में बढ़ोतरी का बोझ आखिरी उपभोक्ता पर नहीं डाल पाएगा। इसलिए प्राधिकारी को इस बात में कोई दम नहीं लगता कि शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग को अपने मार्जिन पर अनावश्यक क्षति होगी।

ठ. प्रकटन प्रश्चात टिप्पणियां

ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

165. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने मोनो फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले मदर यार्न को बाहर करने के अनुरोध, पीसीएन के मापदंड के रूप में गुणवत्ता पर विचार करने के अनुरोध, प्रूटेक्स को उसकी उत्पाद के आधार पर एक नमूना उत्पादक के रूप में मानने के अनुरोध, 24 विंडर्स वाली मशीनों को अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी में बदलाव, संबद्ध सामानों के संरक्षण का इतिहास आदि के संबंध में अपने पूर्व के अनुरोधों को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण जारी होने के बाद अपने अनुरोधों में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया है:

i. प्राधिकारी ने इन अनुरोधों को हल नहीं किया है कि घरेलू उद्योग की मदर यार्न के उत्पादन की क्षमता कुल मांग का केवल 15% है। सीमित क्षमता और आसन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कारण भारत में मदर यार्न की उपलब्धता कम हो गई है।

ii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए साक्ष्यों का प्रकटन नहीं किया है, जिसमें मदर यार्न के साथ-साथ कुछ डेनियर्स और फिलामेंट्स के साथ यार्न के उत्पादन और आपूर्ति के बारे में सूचना दी गई थी, जिसे बाहर रखने जाने का अनुरोध किया गया था।

iii. जबकि प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने 70 डेनियर्स/48 फिलामेंट्स फुल डुल एफडीवाई के उत्पादन और बिक्री के संबंध में साक्ष्य

प्रदान किए हैं, घरेलू उद्योग द्वारा दायर अनुरोधों के अगोपनीय रूपातर में प्रस्तुत साक्ष्यों की प्रकृति का कोई संकेत नहीं है।

iv. बिना किसी साक्ष्य के मात्र विवरण कि 70 / 68 एफडी एफडीवाई की तुलना 70/ 72 एफडी एफडीवाई से की जा सकती है, पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है, इसलिए इसे बाहर रखा जाना चाहिए।

v. जबकि प्राधिकारी ने नोट किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए घटिया उत्पादों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है, गुणवत्ता मुद्दों को दर्शाने वाली पैकिंग सूचियां और बीजक पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं।

vi. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ इस तरह के साक्ष्य साझा किए बिना घरेलू उद्योग द्वारा जारी क्रेडिट नोटों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने रंगाई गारंटी के संबंध में किसी भी साक्ष्य की जांच नहीं की है।

vii. प्राधिकारी द्वारा विचार की गई नमूनाकरण पद्धति उपयुक्त नहीं है क्योंकि निर्यात किए गए पीसीएन, निर्यात चैनलों और उद्योग परिपाटियों के बजाय केवल निर्यात की मात्रा पर भरोसा किया गया है।

viii. चूंकि चीन से कुल निर्यात में 70% हिस्सेदारी वाले निर्यातकों ने भाग नहीं लिया है, इसलिए पाटन के अधिक प्रतिनिधि कारक मूल्यांकन करने के लिए कम से कम 3 उत्पादक समूहों को शामिल करने के लिए नमूना आकार बढ़ाया जाना चाहिए।

ix. तीन नमूना समूहों पर विचार करना प्राधिकारी के लिए अत्यधिक बोझिल नहीं होगा। चूंकि किसी भी निर्माता ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी का भार पहले से ही कम हो गया है।

x. जबकि प्राधिकारी ने उन उत्पादकों के लिए नमूनाकरण की मांग को अस्वीकार करने के लिए यूरोपीय परिपाटी पर विचार किया है जिन्होंने स्वैच्छिक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है, यूरोपीय आयोग ने स्वयं कई जांच परिणामों में

स्वैच्छिक प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया है जहां अलग अलग जांच अनुचित रूप से बोझिल नहीं थी।

xi. प्रूटेक्स नायलॉन कं, लिमिटेड और फुजियान वानहोंग टेक्सटाइल कं, लिमिटेड का सीमा शुल्क को पाटनरोधी शुल्क एकत्र करने के लिए स्पष्टता प्रदान करने के लिए अंतिम जांच परिणामों में गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

xii. सेंचुरी एंका को छोड़कर सभी आवेदकों ने भारत में संबद्ध सामानों का आयात किया है। घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का आकलन करते समय ऐसे आयात पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उत्पादकों को पाटन में योगदान करने और फिर ऐसे पाटन के कारण होने वाली क्षति का दावा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

xiii. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि की तुलना में आयात की पहुंच कीमत में अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के पास अपनी कीमत बढ़ाने का विकल्प था और कोई कीमत ह्रास नहीं है।

xiv. नायलॉन 6 के आयात की पाटनरोधी जांच में जीपीपीएल द्वारा दायर याचिका के अनुसार, प्रमुख कच्चे माल की कीमत वर्ष दर वर्ष 2020-21 से कम हो गई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत कैसे बढ़ी है।

xv. जांच की अवधि में केवल गुजरात पॉलीफिम्स को ही नुकसान हुआ है और घरेलू उद्योग के अन्य घटकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति भारत में आयात के कारण नहीं हुई है।

xvi. एग्लोन और टोडी रेयन्स की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है क्योंकि वे 24 / 16 एंड विंडर कॉन्फ़िगरेशन पर काम करते हैं जो अन्य उत्पादकों की तुलना में अपेक्षाकृत आधुनिक और उत्पादकता-कुशल वाइंडिंग तकनीक है। इस प्रकार, क्षति तकनीकी अप्रचलन, परिचालन अक्षमता या पूंजीगत परिसंपत्तियों को आधुनिक बनाने में विफलता के कारण होती है।

xvii. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क को कम अवधि के लिए लगाया जाना चाहिए।

xviii. पुरानी तकनीक के उपयोग के कारण घरेलू उद्योग द्वारा की गई वृद्धिशील लागत को क्षतिरहित कीमत से समायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि आधुनिकीकरण की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

xix. भारतीय उत्पादक एकतरफा बिक्री शर्तें लगाते हैं, जिसमें प्रतिबंधात्मक आपूर्ति शर्तें और सीमित ऋण लचीलापन शामिल है जो एमएसएमई बुनकर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

xx. पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो पहले से ही संकट की स्थिति में हैं, इकाइयां प्रतिदिन बंद हो रही हैं, मशीनरी को नष्ट किया जा रहा है और काफी रोजगार हानियां हो रही हैं।

xxi. पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, तो संदर्भ कीमत के रूप में होना चाहिए। घरेलू उद्योग ने पहले ही न्यूनतम आयात कीमत लगाने के लिए आवेदन किया है, इस प्रकार, घरेलू उद्योग स्वयं को संदर्भ कीमत युक्त लगती है।

xxii. यदि संदर्भ कीमत शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो यिवू हुआडिंग नायलॉन कं, लिमिटेड, प्राधिकारी से अपने कीमत वचनबद्धता को स्वीकार करने का अनुरोध करता है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

166. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण जारी होने के पश्चात् निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते समय एचएस कोड को 4 अंकों के स्तर पर मानें।

ii. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि सत्यापन के दौरान संशोधित सेंचुरी एन्का लिमिटेड के उत्पादन और क्षमता को क्षतिरहित कीमत (लागत टीम) के निर्धारण के लिए नहीं माना गया है।

iii. घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत न्यूनीकृत की गई है क्योंकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार नहीं किया है। चूंकि घरेलू उद्योग के प्रचालनों में कोई अक्षमता नहीं है, इसलिए कच्चे माल, यूटिलिटियों, उत्पादन क्षमताओं के मानकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। (लागत टीम)

iv. वर्तमान जांच पिछली जांच से अलग है, क्योंकि आयात की मात्रा, कीमत प्रभाव, कम क्षमता उपयोग, कम बाजार हिस्सेदारी और उच्च हानियों के संदर्भ में अधिक क्षति हुई है। इस प्रकार, पिछली जांच के अनुसार शुल्क लागू नहीं होने के कारण घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति हुई है।

v. पिछली जांच में शुल्क लागू नहीं होने के कारण, पारस पेट्रोफिल्स और जेसीटी लिमिटेड सहित कई उत्पादकों ने प्रचालन बंद कर दिया है। प्रफुल्ल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने अब खुद को वित्तीय संस्थानों के नियंत्रण में एक गैर-निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया है।

vi. जबकि देश में पहले मांग-आपूर्ति का कोई अंतराल नहीं था, लगातार पाटन के कारण, 37,000 एमटी से अधिक की क्षमता बंद हो गई है जो भारत को मांग आपूर्ति अंतराल के करीब धकेल रही है।

vii. किसी भी प्रतिभागी आयातक और प्रयोक्ता ने आर्थिक हित प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया है और भारत में ऐसे प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।

viii. संबद्ध देशों से पाटित कम कीमत वाले संबद्ध सामानों के आयात के कारण, कच्चे माल, नायलॉन चिप्स और संबद्ध सामानों के आयात के बीच का अंतर काफी कम हो गया है।

ix. नायलॉन फिलामेंट यार्न टेक्सटाइल उद्योग के भीतर एक बहुत छोटा भाग है। भारत में कुल टेक्सटाइल उत्पादन का केवल 1% है। अधिकतर टेक्सटाइल उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रति उदासीन रहेगा। टेक्सटाइल उद्योग के सामने आने वाले मुद्दे प्राकृतिक वस्त्रों जैसे कपास, रेशम और ऊन से संबंधित हैं जो भारत में प्रमुख निर्यात क्षेत्र भी है।

x. भारत से निर्यात में घरेलू उद्योग का योगदान निचले स्तर के उद्योग की तुलना में बहुत अधिक है और घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट से देश में निर्यात निष्पादन और विदेशी मुद्रा के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उद्योग के निर्यात निष्पादन से पता चलता है कि भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद की गुणवत्ता को विश्व स्तर पर प्रयोक्ताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है।

xi. निचले स्तर के उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बाधित नहीं होगी क्योंकि यह अग्रिम प्राधिकार के तहत संबद्ध सामानों को शुल्क मुक्त आयात करके अपने उत्पाद का निर्यात करने में सक्षम होगा।

xii. पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव निचले स्तर के उद्योग पर नगण्य होगा। विचाराधीन उत्पाद वितग में पाटनरोधी शुल्क के अधीन रहा है और निचले स्तर के उद्योग के निष्पादन पर उक्त अवधि में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

xiii. संबद्ध सामानों पर 50 रुपये प्रति किलोग्राम का पाटनरोधी शुल्क अंतिम फैब्रिक की खुदरा कीमत पर कीमत में नगण्य वृद्धि में तब्दील हो जाएगा। इस तरह के छोटे खुदरा कीमत प्रभाव से घरेलू स्पिनिंग क्षमताओं के बड़े पैमाने पर पतन को रोका जा सकता है।

xiv. निचले स्तर के उद्योग को भारत सरकार द्वारा 20% के उच्च मूल सीमा शुल्क और फैब्रिक के आयात पर न्यूनतम आयात कीमत के संदर्भ में सहायता के साथ अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। पाटनपरोधी शुल्क लागू न होने और निचले स्तर के उद्योग को पाटित

कच्ची सामग्री तक पहुंच के मामले में, इसे प्रतिस्पर्धी होने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। निचले स्तर के उद्योग की स्थिति के विपरीत, संबद्ध सामानों के आयात पर मूल सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया था।

xv. संबद्ध देशों में उत्पादक केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य न्याय क्षेत्रों में भी पाटन कर रहे हैं। संबद्ध देशों में उत्पादक अन्य न्याय क्षेत्रों में बहुत अधिक शुल्क के अध्यधीन रहे हैं।

xvi. चीनी उत्पादकों की क्षमता भारत में मांग से 20 गुना अधिक है। ऐसी केवल 5% क्षमताएं ही भारतीय बाजार में बाढ़ लाने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, चीनी उत्पादक लगभग 3,00,000 एमटी की क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। ऐसी क्षमताएं निर्यात बाजार के लिए हैं क्योंकि ये चीन जन.गण. में मांग से अधिक हैं।

xvii. पाटनपरोधी शुल्क लगाने से बाजार का एकाधिकार नहीं होगा क्योंकि बाजार में कई उत्पादक शामिल हैं और पाटनपरोधी शुल्क लगाने से देश में आयात को रोका नहीं जा सकता है।

xviii. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता भारत में आयातित उत्पादों से बेहतर है।

xix. संबद्ध सामानों का बाजार 7.9% सीएजीआर की दर से बढ़ रहा है। यह उद्योग रसद, पैकेजिंग और रासायनिक उद्योग से जुड़े लोगों को छोड़कर 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

xx. जांच की अवधि के बाद संबद्ध आयातों में काफी वृद्धि हुई है और इसने भारतीय उद्योग के बाजार हिस्सेदारी को छीन लिया है।

xxi. पिछले 5 वर्षों में मांग बढ़ने के साथ भारतीय उद्योग की क्षमताएं बढ़ी हैं, लेकिन चीन जन.गण. से अतिरिक्त आयात के कारण ऐसी क्षमताएं अप्रयुक्त रही हैं।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

167. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट किया है कि कई अनुरोध पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से हल किया गया है। प्रकटन पश्चात की टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा समर्थित साक्ष्यों को प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया है, जिनकी जांच नीचे की गई है।

168. मदर यार्न को बाहर करने के संबंध में, प्राधिकारी दोहराते हैं कि मदर यार्न एक बहु-तंतु यार्न है जिसका उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्रा में किया गया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इसे बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारत में किसी उत्पाद प्रकार के लिए मांग-आपूर्ति अंतराल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उक्त उत्पाद को बाहर करने का औचित्य नहीं है। पाटनपरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होगा, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि उचित कीमतों पर ही आयात किया जाएं। इस प्रकार, उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी उक्त उत्पाद का आयात कर सकते हैं।

169. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद प्रकारों के उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में प्रदान किए गए साक्ष्य, जिसमें मदर यार्न, विभिन्न डेनियर और फिलामेंट्स और रंगाई गारंटी सहित संबद्ध सामान शामिल हैं, प्राधिकारी द्वारा प्रकट नहीं किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इन उत्पाद प्रकार के उत्पादन और आपूर्ति को दर्शाने के लिए उत्पादन रिकॉर्ड, वाणिज्यिक बीजक और क्रेडिट नोट प्रदान किए हैं। चूंकि ऐसे दस्तावेज अलग अलग घरेलू उत्पादकों की वाणिज्यिक स्वामित्व वाली सूचना हैं, जिनका प्रकटन घरेलू उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धी नुकसान का होगा, इसलिए उन्हें प्रकट नहीं किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए समान साक्ष्य घरेलू उद्योग को प्रकट नहीं किए गए हैं।

170. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि केवल विवरण को यह दर्शाने के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि एक उत्पाद प्रकार दूसरे उत्पाद प्रकार के तुलनीय है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता है कि इनकार करने वाले और फिलामेंट्स में थोड़ा अंतर दो उत्पादों को आवश्यक उत्पाद विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल, उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, ग्राहकों की धारणाओं, सीमा शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में अलग करता है। जैसा कि इन अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग ने इस बात का प्रमाण दिया है कि उसने भारत में आयात किए गए समान डेनियर्स और फिलामेंट्स के साथ समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है।

171. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि प्रयोक्ता उद्योग ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग भारत में आयात किए गए उत्पादों की तुलना में घटिया उत्पादों की आपूर्ति करता है, रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने मुख्य रूप से घरेलू बाजार में एए ग्रेड उत्पादों की आपूर्ति की है। संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने भारत को घटिया उत्पादों का निर्यात किया है। वास्तव में वियतनाम के उत्पादकों ने विस्तृत लेनदेन वार सूचना प्रदान की है जिससे पता चलता है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को ऑफ-ग्रेड विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त, केवल यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने घटिया उत्पाद की कुछ मात्रा बेची है, उत्पादन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा भी नहीं है कि घरेलू उद्योग केवल घटिया उत्पादों का उत्पादन करता है।

172. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की आपूर्ति शर्तें कठोर हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भले ही आपूर्ति शर्तें कठोर हों, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि ये आपूर्ति शर्तें सामान्य व्यावसायिक शर्तों से परे कैसे हैं जो उत्पादकों द्वारा लगाई जा सकती हैं। घरेलू उद्योग पूरी क्षति की अवधि में उत्पाद की अत्यधिक मात्रा का उत्पादन और बिक्री कर रहा है और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आपूर्ति की शर्तें सबसे

हाल की अवधि में कठोर या अव्यावहारिक बनाई गई थीं। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति शर्तों में अंतर उन मामलों में पाटनरोधी शुल्क लगाने का औचित्य नहीं रखता है जहां संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों ने पाटन किया है जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। पाटनपरोधी शुल्क लगाने के बाद भी, प्रयोक्ता उद्योग उचित कीमतों पर संबद्ध देशों से समान आपूर्ति शर्तों पर विचाराधीन उत्पाद का आयात करने में सक्षम होगा।

173. जहां तक ऑफ-ग्रेड और प्राइम ग्रेड को अलग-अलग पीसीएन के रूप में विचार करने के अनुरोध को दोहराने का संबंध है, जैसा कि अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में उल्लेख किया गया है, उत्पाद की लागत गुणवत्ता के आधार पर भिन्न नहीं होती है। प्रकटन विवरण जारी करने के बाद भी किसी भी पक्षकार ने यह नहीं दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं कि प्राइम और ऑफ ग्रेड के उत्पादन की लागत अलग-अलग है। इसलिए, उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर एक अलग पीसीएन बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

174. अपनाई गई नमूनाकरण पद्धति के संबंध में, प्राधिकारी ने पहले ही नोट किया है कि वर्तमान जांच में माना गया नमूना सहयोगी उत्पादकों द्वारा भारत में आयात का 61% है। चूंकि इस तरह की प्रतिक्रियाएं भारत में सहयोगी उत्पादकों से आयात का प्रतिनिधि हैं, इसलिए आगे की अलग-अलग प्रक्रियाओं पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, भले ही उत्पादकों में से किसी एक ने अलग-अलग पीसीएन बेचे हों, इस कारण से ऐसी प्रतिक्रिया पर विचार करना उचित नहीं है।

175. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात को क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों की संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए अनुबंध-II के तहत क्षति विश्लेषण करने की आवश्यकता है। क्षति विश्लेषण से ऐसे आयातों को बाहर रखने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। चूंकि आवेदकों द्वारा आयात की मात्रा संबद्ध देशों से कुल आयात की तुलना में नगण्य है, ऐसे आवेदकों द्वारा उत्पादन के साथ-साथ भारत में मांग, इन कंपनियों को घरेलू उद्योग के गठन के उद्देश्य से पात्र माना गया है।

किसी भी मामले में, केवल सेंचुरी एन्का लिमिटेड और ओरियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से कुल आयात में से 31,823 एमटी में से, जांच की अवधि में ऐसे आयात केवल *** एमटी हैं।

176. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पहुंच कीमत में क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की बिक्री लागत में वृद्धि की अपेक्षा वृद्धि हुई है और इसीलिए, वर्तमान मामले में कोई कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां तक कि जब पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक बढ़ गई है, तो पहुंच कीमत, बिक्री लागत से कम रही है। तदनुसार, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत के अनुसार अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	123	112
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	122	109
पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,63,702	2,32,761	2,16,204	1,94,680
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	132	119

177. इस अनुरोध के संबंध में कि जांच की अवधि के दौरान केवल जीपीपीएल को ही हानियां हुई हैं और इसलिए, आयात के कारण क्षति नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने परिभाषित घरेलू उद्योग कर क्षति की जांच की है। इस संबंध में घरेलू उद्योग के प्रत्येक अलग अलग घटक का निष्पादन संगत नहीं है। समग्र रूप से घरेलू उद्योग का निष्पादन दर्शाता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी आई है। प्राधिकारी ने

इन अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में पहले ही नोट किया है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण/ह्रास किया है। इसके अलावा, वर्तमान जांच में पाटन और क्षति के बीच एक कारणात्मक संपर्क सिद्ध किया गया है। इसलिए, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट भारत में संबद्ध आयात के पाटन के कारण है।

178. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पुरानी तकनीक के कारण क्षति हुई है, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम के भाग में पहले ही नोट किया है कि उत्पाद के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; और इसलिए, क्षति प्रौद्योगिकी में विकास के कारण नहीं हो सकती है। इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि विदेशी उत्पादक पहले अलग-अलग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे और अब अलग-अलग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।

179. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत का ह्रास हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतरहित कीमत पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ।।। के सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की गई है। प्राधिकारी यह यह भी नोट करते हैं कि सेंचुरी एन्का लिमिटेड की क्षमता और उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा, कच्चे माल, यूटिलिटियों या उत्पादन क्षमताओं का मानकीकरण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-।।। के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

180. जहां तक कम अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम समय के लिए शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अतीत में पाटनरोधी शुल्क लगाने से पता चलता है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों ने लंबे समय तक उत्पाद को पाटित करने का सहारा लिया। किसी भी मामले में, यदि यह पाया जाता है कि अब पाटनरोधी शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है तो हितबद्ध पक्षकार नियम 23 के तहत समीक्षा की मांग कर सकते हैं।

181. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से प्रयोक्ताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में आयात

के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पारस पेट्रोफिल्स, जेसीटी लिमिटेड और प्रफुल्ल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में पाटन और पिछली जांच में पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होने के कारण प्रचालन बंद कर दिया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग काफी कम है और घरेलू उद्योग के सभी घटकों को वितीय हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हो रही हैं। प्रयोक्ता उद्योगों ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उन पर असहनीय बोझ पड़ेगा।

182. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और गुप्ता सिंथेटिक्स सहित कुछ उत्पादकों ने पिछली जांच से पहले और भारत में पाटन के कारण प्रचालन बंद कर दिये थे। इसके अलावा, अधिक उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होने के बाद प्रचालन बंद कर दिया है। जबकि भारत संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर और भारत में मांग-आपूर्ति का कोई अंतराल नहीं था, उत्पादकों की बंदी होना भारत को मांग-आपूर्ति के अंतराल के साथ अधिक आयात पर निर्भर बाजार की ओर धकेल रहा है।

183. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि समग्र टेक्सटाइल उद्योग में संबद्ध सामानों की तुलनात्मक रूप से कम हिस्सेदारी के कारण, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का टेक्सटाइल उद्योग पर सामान्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वस्त्र उद्योग में प्रमुख निर्यात प्राकृतिक वस्त्र हैं जिनमें कपास, ऊन और रेशम शामिल हैं। ऐसे उद्योग नायलॉन फिलामेंट यार्न उद्योग के प्रति उदासीन हैं।

184. प्राधिकारी यह भी नोट करते है कि सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के बुने हुए कपड़े के प्रमुख आईटीसी एचएस कोड पर 20% की उच्च मूल सीमा शुल्क के साथ निचले स्तर के उद्योग को भारत सरकार द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। इसके अलावा, बुने हुए फैब्रिक के आयातों पर न्यूनतम आयात कीमत भी लगती है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध

सामानों के आयात के लिए मूल सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

185. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों को अन्य न्याय क्षेत्राधिकार में भी पाटनरोधी शुल्क का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे न केवल भारत में बल्कि तीसरे देशों में भी पाटन कर रहे हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ब्राजील ने संबद्ध देशों से आयातित सामानों पर उच्चतर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। चीनी निर्यातक पर *** अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी का पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है और वियतनामी निर्यातक की मूल कंपनी पर *** अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी का पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

186. भारत में संबद्ध सामानों के कई उत्पादक हैं जो देश में उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में लगे हुए हैं, इस प्रकार पर्याप्त अंतर-से प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण भारतीय बाजार में एकाधिकार या कार्टेलाइजेशन के संबंध में कोई चिंता नहीं है। किसी भी मामले में, एक हितबद्ध पक्षकार नियम 23 के तहत प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा मांग सकता है, यदि शुल्क लगाने के लिए अपर्याप्त औचित्य हो।

187. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने पहले भी पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया था और प्राधिकारी ने 2020 में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसा कुछ भी लागू नहीं किया गया था। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पिछली जांच की तुलना में घरेलू उद्योग को क्षति में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि पिछली जांच से तुलना करने पर, संबद्ध देशों से आयात की मात्रा काफी बढ़ गई है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अकेले चीन जन.गण. से आयात की मात्रा निम्नलिखित तरीके से बढ़ी है:

विवरण	**इकाई**	**पूर्व जांच परिणामों में**	**वर्तमान पीओआई**

		पीओआई	
चीन से आयात	एमटी	7,024	30,547

स्रोत: चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्याति नायलॉन मल्टी फिलामिन यार्न के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में दिनांक 04.03.2020 के अंतिम जांच परिणाम (फा. संख्या. 6 / 11 / 2019-डीजीटीआर)

188. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पूर्व जांच में जांचावधि की तुलना में वर्तमान जांच की अवधि में गिरावट आई है। कीमत कटौती में भी उपर्युक्त अवधि के बीच वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि दो अवधियों के बीच घरेलू उद्योग की हानियां काफी बढ़ गई है।

विवरण	**इकाई**	**पूर्व जांच परिणामों में पीओआई**	**वर्तमान पीओआई**	**परिवर्तन**
मांग	एमटी	1,36,995	1,80,191	+32%
बाजार हिस्सा				
संबद्ध आयात	%	10	18	+80%
कुल आयात	%	15	21	+40%
भारतीय उद्योग	%	85	79	-7%
आयातों की पहुंच कीमत	एमटी	2,12,206	1,94,680	-8%

स्रोत: चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्याति नायलॉन मल्टी फिलामिन यार्न के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में दिनांक 04.03.2020 के अंतिम जांच परिणाम (फा. संख्या. 6 / 11 / 2019-डीजीटीआर)

189. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि जबकि पिछली जांच में संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर

रहे थे, वर्तमान जांच में संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास किया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच में उच्च प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ा है।

190. संदर्भ कीमत शुल्क के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद में भारी संख्या में विभिन्न प्रकार शामिल हैं। आयात और घरेलू उद्योग की लागतों के बारे में सूचना से पता चलता है कि सैकड़ों पीसीएन की मौजूदगी लागत में और परिणामस्वरूप कीमत में अंतर के साथ, घरेलू उद्योग द्वारा आयात और आपूर्ति किए गए हैं। अत: संदर्भ कीमत के रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यावहारिक नहीं होगा।

191. यिवू हुआडिंग नायलॉन कं, लिमिटेड द्वारा दी गई कीमत वचनबद्धता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक ने निर्धारित प्रारूप का अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ड. <u>निष्कर्ष एवं सिफारिशें</u>

192. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि:

i. विचाराधीन उत्पाद नायलॉन फिलामेंट यार्न है जो एक बहु-फिलामेंट यार्न है। विचाराधीन उत्पाद में मदर यार्न, पूरी तरह से खींचा गया यार्न, आंशिक रूप से उन्मुख यार्न, खींचा हुआ बनावट वाला यार्न या क्रिम्प यार्न, हवा बनावट वाला यार्न, हवा कवर वाला यार्न, उच्च उन्मुख यार्न और उच्च दृढ़ता वाला यार्न शामिल हैं।

ii. सभी मानव निर्मित फिलामेंट यार्न जिनमें नायलॉन या पॉलियामाइड नहीं हैं, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं।

iii. विचाराधीन उत्पाद में नायलॉन या पॉलियामाइड के सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न शामिल हैं, जैसे कि फ्लैट यार्न - मुड़ा हुआ और/या बिना मुड़े हुए, पूरी तरह से खींचा गया यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रॉ यार्न (एसडीवाई), पूरी तरह से उन्मुख यार्न (एफओवाई), उच्च उन्मुख यार्न (एचओवाई), आंशिक रूप से उन्मुख यार्न (पीओवाई), बनावट वाला यार्न - मुड़ा हुआ और/ या बिना मुड़े हुए, और रंगा हुआ

यार्न, एकल, दोहरा, बहु, मुड़ा हुआ या केबल वाला, और नॉयलान का उच्च तनन यार्न, जो सीमा शुल्क शीर्ष 5402 के तहत अध्याय 54 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं।

iv. मदर यार्न एक मल्टी फिलामेंट यार्न है जिसका उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की गई है। उत्पाद का अंतिम प्रयोग विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उसे बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है।

v. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में मदर यार्न के प्रति फिलामेंट समान डेनियर का उत्पादन और आपूर्ति की है जो संबद्ध देशों से आयात किया गया था।

vi. 840 से ऊपर के डेनियर वाले उच्च दृढ़ता वाले यार्न का उपयोग टायर कॉर्ड फैब्रिक में किया जाता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

vii. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में उच्च डेनियर उच्च टेनसिटी और कम डेनियर उच्च टेनसिटी यार्न का उत्पादन और आपूर्ति की है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

viii. डिनियर और फिलामेंट में मामूली बदलाव से अलग-अलग विशेषताओं और प्रयोग के साथ एक अलग उत्पाद नहीं बनता है। फिलामेंट्स और डेनियर की संख्या स्पिनरेट और पिघलने के प्रवाह की गति पर निर्भर करती है। घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में समान फिलामेंट्स और डेनियर्स के साथ समान वस्तुओं की आपूर्ति की है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

ix. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में मुख्य रूप से एए ग्रेड उत्पाद की आपूर्ति की है जबकि पर्याप्त आयात गौण ग्रेड का रहा है। घरेलू उद्योग नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है और बीआईएस मानकों के अनुसार संबद्ध सामानों का उत्पादन करता है।

x. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में नायलॉन स्पैन्डेक्स कवर किए गए यार्न का उत्पादन और आपूर्ति की है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है।

xi. प्राधिकारी ने विभिन्न ग्रेडों के उत्पादन के बीच लागत अंतर के आधार पर वर्तमान जांच में पीसीएन पर विचार किया है। उत्पाद की गुणवत्ता

उत्पादन लागत में अंतर का कारण नहीं बनती है क्योंकि कच्चे माल, यूटिलिटियों की लागत और ऑफ-ग्रेड उत्पाद के निर्माण के लिए अन्य व्यय समान रहते हैं। इसलिए, इसे अलग पीसीएन नहीं माना गया है।

xii. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध सामान संबद्ध देशों से भारत में आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

xiii. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन-पत्र सेंचुरी एन्का लिमिटेड, गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और ओरियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। इस आवेदन-पत्र का समर्थन एग्लॉन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड, सालासर पॉलीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और टोडी रेयन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था।

xiv. जांच की शुरुआत के बाद, पीएनपी पॉलीमर्स लिमिटेड ने अपनी क्षति और लागत की सूचना प्रदान की और घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में विचार करने का अनुरोध किया। सभी हितबद्ध पक्षकारों को पीएनपी पॉलीमर्स द्वारा प्रस्तुत सूचना पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया गया था।

xv. पीएनपी को शामिल करने से घरेलू उद्योग में क्षति का अधिक व्यापक विश्लेषण किया जा सकता है और विकृति के जोखिम को कम किया जा सकता है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से पीएनपी पॉलीमर्स को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना है।

xvi. घरेलू उद्योग को भारत में पाटन के कारण क्षति हुई है, चाहे पीएनपी पॉलीमर्स को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माना जाए या नहीं।

xvii. जांच की अवधि के बाद ओरियन और सेंचुरी एन्का लिमिटेड में आग लगने से वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए घरेलू उद्योग के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

xviii. घरेलू उद्योग बनने वाले कोई भी घरेलू उत्पादक संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध नहीं है। इसके अलावा, सेंचुरी एन्का लिमिटेड और ओरियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत में उक्त माल का आयात किया है। हालाँकि, भारत में कुल आयात, भारत में मांग और ऐसे

उत्पादकों के उत्पादन के संदर्भ में इस तरह के आयात नगण्य हैं। इस प्रकार, उन्हें वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना गया है।

xix. यदि 12 महीने की अवधि पर विचार किया जाए तो व्यावहारिक कठिनाईयां हैं क्योंकि इससे दो वित्तीय वर्षों की सूचना का विभाजन हो जाएगा। चूंकि उद्योग में छोटे उत्पादक भी शामिल हैं, इसलिए दो वित्तीय वर्षों की जांच अवधि पर विचार करने से घरेलू उत्पादकों को अनुचित कठिनाई होती। तदनुसार, वर्तमान जांच में 15 महीने की जांच की अवधि पर विचार किया गया है।

xx. चीन जन.गण. से बड़ी संख्या में उत्पादकों और निर्यातकों की प्रतिभागिता को देखते हुए, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में सबसे बड़े मात्रा के निर्यात के आधार पर नमूनाकरण किया है।

xxi. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. दोनों से दो सबसे बड़े उत्पादक समूहों के लिए अलग अलग मार्जिन निर्धारित किया है। भले ही 2 समूहों का चयन किया गया है, प्राधिकारी ने ऐसे समूहों के हिस्से के रूप में 3 उत्पादकों की जांच की है।

xxii. वर्तमान जांच में चीन जन.गण. से सहयोगी उत्पादकों द्वारा आयात की मात्रा का 61% नमूनाकृत उत्पादकों का है। इसलिए, नमूने का आकार पर्याप्त है।

xxiii. चीन जन.गण. से अन्य गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों के लिए मार्जिन उनके संबंधित देश के नमूनाकृत उत्पादकों के भारित औसत मार्जिन पर आधारित है।

xxiv. वियतनाम के सहयोगी उत्पादकों द्वारा दायर की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित किया गया है।

xxv. निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

xxvi. कानूनी आवश्यकताओं और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुसार घरेलू उद्योग के संबंध में क्षति विश्लेषण किया गया है।

xxvii. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में संचयी मूल्यांकन की सभी शर्तों को पूरा करने के साथ क्षति का संचयी मूल्यांकन किया है।

xxviii. घरेलू उद्योग को निम्नानुसार वास्तविक क्षति हुई है।

क. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पूर्ण रूप से संबद्ध आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध सामान घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे थे।

ग. क्षति की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति में हुई वृद्धि की तुलना में बिक्री लागत में अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है।

घ. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है।

ड. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार में घाटे पर संबद्ध सामानों को बेचा है।

च. घरेलू उद्योग की सूची में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में सबसे अधिक थी।

छ. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हुई हैं।

ज. घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में क्षति की अवधि में गिरावट आई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता सबसे कम थी।

झ. घरेलू उद्योग को नकदक हानियां हुई हैं और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की गई है।

ञ. पूंजी निवेश बढ़ाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

xxix. निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

xxx. घरेलू उद्योग को क्षति भारतीय बाजार में पाटन के कारण हुई है। किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।

xxxi. कोई सूचना नहीं दी गई है कि विदेशी निर्माता प्रति लाइन 24 विंडर्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी या संयंत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

xxxii. घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत उसकी घरेलू कीमत से अधिक रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की कुल बिक्री की तुलना में घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री नगण्य है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण क्षति नहीं हो सकती।

xxxiii. चूंकि घरेलू उद्योग की भौगोलिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अत: क्षति को भौगोलिक स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

xxxiv. घरेलू उद्योग ने ब्याज लागत के हिसाब से पहले ही हानियां उठाई हैं। अत: घरेलू उद्योग के ब्याज दायित्व के कारण क्षति नहीं हुई है।

xxxv. पाटनपरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा। प्राधिकारी इस संबंध में निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. पाटनपरोधी शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग को उचित अवसर मिलेगा।

ख. विचाराधीन उत्पाद अतीत में पाटनरोधी शुल्क के अधीन था, हालांकि, निचले स्तर के उद्योग पर ऐसे शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।

ग. पाटनपरोधी शुल्क लगाने से देश में आपूर्ति की कमी नहीं होती। इसके अतिरिक्त, आयात संबद्ध देशों के अलावा अन्य स्रोतों से भी किया जा सकता है।

घ. दोनों संयंत्रों में ओरियन और सेंचुरी एन्का लिमिटेड का उत्पादन फिर से शुरू हो गया है, और इस तरह के अस्थायी ठहराव का आम जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

ड. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग बनने वाले सभी घरेलू उत्पादकों को जांच की अवधि में हानियां हुई हैं और घरेलू

उद्योग को क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है।

च. पारस पेट्रोफिल्स, जेसीटी लिमिटेड, प्रफुल्ल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, गुप्ता सिंथेटिक्स और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड सहित कई घरेलू उत्पादकों ने अपना प्रचालन बंद कर दिया है।

छ. उत्पादकों की बंदी से भारत मांग-आपूर्ति की स्थिति की ओर बढ़ रहा है और इससे भारत को आयात पर निर्भर रहने की संभावना है।

ज. नायलॉन फिलामेंट उद्योग का टेक्सटाइल उद्योग में अपेक्षाकृत कम हिस्सा है। संबद्ध सामानों की इतनी कम हिस्सेदारी के कारण, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का टेक्सटाइल उद्योग पर सामान्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

झ. संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगे भारतीय उद्योग, देश से निर्यात में निचले स्तर के उद्योग की तुलना में एक बड़ा योगदानकर्ता है। उद्योग के निष्पादन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव भारत से निर्यात को अत्यधिक रूप से बाधित करेगा।

ञ. रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रतिकूल प्रभाव दिखाया गया है।

ट. उपर्युक्त उल्लिखित जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विषय देशों से विषय वस्तुओं के डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हुआ है।

193. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच शुरू करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना

आवश्यक है। अत:, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते है और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

194. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क- तालिका

क्र. सं.	**शीर्ष**	**विवरण***	**उद्गम का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**राशि**	**इकाई**	**मुद्रा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5402	नायलॉन फिलामेंट यार्न	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	फ़ुजियान हाईसन सिंथेटिक फ़ाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	236	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	फ़ुजियान लिहेंग पॉलियामाइड इंडस्ट्री कं, लिमिटेड	236	एमटी	यूएसडॉ.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	यीवू हुआडिंग नायलॉन कं, लिमिटेड	653	एमटी	यूएसडॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	गैर-नमूनाकृत उत्पादक, नीचे दी गई सूची के अनुसार*	338	एमटी	यूएसडॉ.

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण*	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 से 4 को छोड़कर कोई उत्पादक	782	एमटी	यूएसडॉ.
6	-वही-	-वही-	चीन जन.गण और वियतनाम सहित कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	782	एमटी	यूएसडॉ.
7	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	ह्योसुंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड	684	एमटी	यूएसडॉ.
8	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	ह्योसुंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड	684	एमटी	यूएसडॉ.
9	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	क्र.सं. 7 से 8 में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	827	एमटी	यूएसडॉ.
10	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और वियतनाम को छोड़कर कोई देश	वियतनाम	कोई	827	एमटी	यूएसडॉ.

** पॉलियामाइड यार्न या नायलॉन यार्न के रूप में भी जाना जाने वाला नायलॉन से बना "सिंथेटिक फिलामेंट यार्न"। विचाराधीन उत्पाद मल्टी-फिलामेंट यार्न है। विचाराधीन उत्पाद*

में मदर यार्न, पूरी तरह से खींचा गया यार्न, आंशिक रूप से उन्मुख यार्न, खींचा गया टेक्सचर्ड यार्न या क्रिम्प यार्न, एयर टेक्सचर्ड यार्न, एयर कवर किया गया यार्न, उच्च उन्मुख यार्न और उच्च दृढ़ता यार्न शामिल हैं। सभी मानव निर्मित फिलामेंट यार्न जिनमें नायलॉन या पॉलीएमाइड नहीं होते हैं, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखे हैं। निम्नलिखित को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

क. *मोनो फिलामेंट यार्न*
ख. *बल्क कंटीन्यूअस फाइबर*
ग. *नायलॉन 66 यार्न*
घ. *हॉट मेल्ट यार्न*
ड. *कम पिघलने वाला यार्न*
च. *बांडेड यार्न*
छ. *कंडक्टिव यार्न*
ज. *एंटी-स्टैटिक यार्न*
झ. *नोमेक्स और अरामिड्स यार्न*
ञ. *840 डेनियर्स और उससे अधिक के साथ हाई टेनेसिटी यार्न।*

विचाराधीन उत्पाद में नायलॉन या पॉलियामाइड के सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न शामिल हैं, जैसे कि फ्लैट यार्न - मुड़ा हुआ और/या बिना मुड़े हुए, पूरी तरह से खींचा गया यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रॉ यार्न (एसडीवाई), पूरी तरह से उन्मुख यार्न (एफओवाई), उच्च उन्मुख यार्न (एचओवाई), आंशिक रूप से उन्मुख यार्न (पीओवाई), बनावट वाला यार्न - मुड़ा हुआ और/या बिना मुड़े हुए, और रंगा हुआ यार्न, सिंगल, डबल, मल्टीपल, फोल्डेड और केबल्ड, और सीमा शुल्क शीर्ष 5402 के तहत अध्याय 54 के अंतर्गत वर्गीकरणीय नायलॉन का उच्च दृढता यार्न। उत्पाद में नायलॉन के सभी प्रकार (या फिलामेंट यार्न या पॉलियामाइड यार्न जैसे कि फ्लैट/बनावट/ मुड़ा हुआ/ बिना मुड़े हुए, चमकीले/सेमि डल/उनके फुल डल प्रकार), ग्रे/रंगीन/रंगा हुआ (या उसके प्रकार), सिंगल/डबल/ मल्टीपल/फोल्डेड/केबल्ड (या उसके प्रकार), चाहे आकार का हो या नहीं)

195. उपर्युक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट अलग अलग शुल्क दरों का अनुप्रयोग सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली कंपनी के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित घोषणा दिखाई देगी, जो उसके नाम और कार्य से पहचाना जाता है, जैसा कि निम्नलिखित रूप से तैयार किया गया है:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि इस बीजक द्वारा कवर किए गए भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (पीयूसी का नाम) की मात्रा [संबंधित देश] में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा निर्मित की गई थी। मैं घोषणा करता हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है।"

196. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी दरों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए पूर्वाग्रह के बिना है।

चीन जन.गण. से गैर-नमूनाकृत उत्पादकों की सूची

क्र.सं.	**गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक**
1.	फुजियान कैबांग पॉलियामाइड टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड
2.	प्रूटेक्स नायलॉन कं, लिमिटेड
3.	फुजियान वानहोंग टेक्सटाइल कं., लिमिटेड
4.	हैंग्झोऊ डिकई इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कं, लिमिटेड।
5.	फुजियान चांगले योंगडा फैब्रिक्स कं, लिमिटेड

ढ. आगे की प्रक्रिया

197. इन जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी